रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112023-250013 CG-DL-E-10112023-250013

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 758] No. 758] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 10, 2023/कार्तिक 19, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 10, 2023/KARTIKA 19, 1945

वास्तुकला परिषद्

(भारत सरकार का एक संवैधानिक प्राधिकरण)

(वार्षिक प्रतिवेदन 2022-2023)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2023

फा. सं. सीए / 55 / 2023 / वार्षिक प्रतिवेदन.— वास्तुविद् अधिनियम 1972 के अधीन स्थापित वास्तुकला परिषद् को 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और खातों के लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। वास्तुकला परिषद् (सीओए) देश में वास्तुकला संस्थानों तथा व्यवसायियों के लिये नियामक प्राधिकरण है और यह राष्ट्रीय आधार पर वास्तुविदों की एक पंजिका अनुरक्षित करती है। शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार परिषद का नोडल मंत्रालय है।

सीओए, वास्तुविदों की पंजिका का अनुरक्षण करने के अतिरिक्त विशेषज्ञों की सिमितियों के माध्यम से द्वारा अधिनियम के अंतर्गत मान्यताप्राप्त योग्यताओं के मानकों का आवधिक निरीक्षण भी करती है। विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों के आधार पर सीओए, संस्थानों द्वारा अनुरक्षित मानकों की अपर्याप्तता के संबंध में संबंधित सरकारों को अभ्यावेदन भी देती है।

वास्तुविद परिषद् के अध्यक्ष वास्तुविद हबीब खान तथा वास्तुविद सपना उपाध्यक्ष हैं। श्री आर.के. ओबराय परिषद् के रजिस्ट्रार तथा श्री दीपक कुमार, प्रशासनिक अधिकारी हैं।

अधिनियम तथा इसके अंतर्गत विरचित नियमाविलयों के उद्देश्यों को पूर्ण करने के क्रम में, परिषद् ने निम्नलिखित संवैधानिक समितियों का गठन किया है:

- (i) कार्यकारिणी समिति का गठन अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत किया गया है तथा यह परिषद् की कार्यकारी प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है।
- (ii) अनुशासनपरक समिति का गठन केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित वास्तुकला परिषद् नियमावली के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। यह समिति वास्तुविदों की शिकायतों की जांच करती है तथा वास्तुविदों के व्यावसायिक कदाचार संबंधी आरोपों की जांच करती है तथा वास्तुविदों के कदाचारगत दोष पर निर्णय लेने के लिये परिषद् के पास अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करती है।

7093 GI/2022 (1)

- (iii) सलाहकार समिति (अपील) उन आवेदकों की अपील की सुनती है, जिनके आवेदन वास्तुविद पंजीकरण हेतु अस्वीकार कर दिए जाते हैं।
- (iv) विदेशी योग्यताओं पर गठित उप-समिति, विदेशी योग्यताओं की मान्यता हेत् केंद्रीय सरकार से प्राप्त संदर्भों की जांच करती है।
- (v) जांच समिति, बी.आर्क. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिये अनुमोदन/अतिरिक्त प्रवेश/नवीन संस्थानों के विस्तार हेतु विद्यमान संस्थानों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों/आवेदनों की जांच करती है।

परिषद् की 01.04.2022 से लेकर के 31.03.2023 तक संपन्न हुईं विभिन्न गतिविधियों के विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत हैं :

1. बैठकें :

परिषद की बैठकें :

प्रतिवेदनाधीन वाले वर्ष के दौरान परिषद् की तीन बैठकें संपन्न हुई थीं, अर्थात् 15 जुलाई 2022 को 77वीं बैठक, 7 नवंबर 2022 को 78वीं बैठक तथा 12 मार्च 2023 को 79वीं बैठक संपन्न हुई।

कार्यकारी समिति की बैठकें :

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कार्यकारिणी समिति की 12 बैठकें संपन्न हुई थीं, जिनके विवरण निम्नानुसार हैं :

क्रमांक	बैठक संख्या	दिनांक	माध्यम
1.	237वीं बैठक	22 जून, 2022	ऑनलाइन
2.	238वीं बैठक	15 जुलाई, 2022	ऑफलाइन
3.	239वीं बैठक	16 जुलाई 2022	ऑफलाइन
4.	240वीं बैठक	19 अगस्त, 2022	ऑनलाइन
5.	241वीं बैठक	30 अगस्त 2022, 05 सितम्बर 2022, 15 सितम्बर	ऑनलाइन
		2022, 30 सितम्बर 2022	
6.	242वीं बैठक	16 अक्टूबर, 2022	ऑनलाइन
7.	243वीं बैठक	29 अक्टूबर, 2022	ऑनलाइन
8.	244वीं बैठक	5 नवंबर, 2022	हाइब्रिड
9.	245वीं बैठक	16 नवंबर, 2022	ऑनलाइन
10.	246वीं बैठक	23 दिसंबर, 2022	ऑनलाइन
11.	247वीं बैठक	15 फरवरी 2023	ऑनलाइन
12.	248वीं बैठक	5 मार्च 2023, 6 मार्च 2023	ऑनलाइन

2. वास्तुविदों का पंजीकरण :

परिषद्, अधिनियम की धारा 25 के तहत उस व्यक्ति को एक वास्तुविद् के रूप में पंजीकृत करती है, जो भारत में निवास करता है अथवा वास्तुविद का व्यवसाय करता है और जिसके पास वास्तुकला की मान्यताप्राप्त योग्यता है। पंजीकरण करने हेतु आवेदन तथा शुल्क ऑनलाइन के साथ–साथ ऑफलाइन माध्यम से भी जमा किए जा सकते हैं।

प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान परिषद् ने 13813 योग्य व्यक्तियों को वास्तुविदों के रूप में पंजीकरण प्रदान किया है। इसके साथ ही 31 मार्च 2023 के अनुसार कुल 156104 वास्तुविदों को वास्तुविदों के रूप में पंजीकृत किया जा चुका है। दिनांक 31.03.2023 के अनुसार वैध पंजीकरण धारक 122623 वास्तुविदों का राज्यवार विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है :

क्रमांक	राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के नाम	01.04.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि में पंजीकृत वास्त्विद	31.03.2023 के अनुसार पंजीकृत कुल वास्तुविद	31.03.2023 के अनुसार वैध नवीनीकरण के साथ सक्रिय वास्तुविद
1.	अंडमान एवं निकोबार	4	57	45
2.	आंध्र प्रदेश	288	2503	1849
3.	अरुणाचल प्रदेश	7	95	77
4.	असम	104	1036	881
5.	बिहार	136	1263	1071
6.	चंडीगढ़	40	1109	861
7.	छत्तीसगढ	125	1408	1087
8.	दादरा एवं नगर हवेली	7	38	30
9.	दमन एवं दीव	5	52	44
10.	दिल्ली	620	13385	10216

11.	गोवा	84	1036	893
12.	गुजरात	782	9902	7406
13.	हरियाणा	393	5823	4813
14.	हिमाचल प्रदेश	65	769	630
15.	जम्मू एवं कश्मीर	30	492	401
16.	झारखंड	62	788	630
17.	कर्नाटक	1144	11512	9066
18.	केरल	1560	9402	7651
19.	लद्दाख	4	11	11
20.	लक्षद्वीप	1	5	5
21.	मध्य प्रदेश	328	4375	3252
22.	महाराष्ट्र	3327	42043	33419
23.	मणिपुर	15	172	140
24.	मेघालय	25	191	165
25.	मिजोरम	17	138	125
26.	नागालैंड	20	105	87
27.	ओडिशा	153	1624	1320
28.	पुड्डूचेरी	34	342	261
29.	पंजाब	259	3022	2413
30.	राजस्थान	356	3373	2688
31.	सिक्किम	13	116	94
32.	तमिलनाडु	2275	18758	14059
33.	तेलंगाना	475	5736	4319
34.	त्रिपुरा	3	63	50
35.	उत्तराखंड	85	1245	1011
36.	उत्तर प्रदेश	762	10807	8887
37.	पश्चिम बंगाल	205	03305	2664
38.	56 एपीओ	0	2	1
39.	99 एपीओ	0	1	1
	कुल	13813	156104	122623

3. वास्तुविदों के पंजीकरण का नवीनीकरण :

प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान परिषद् ने वार्षिक आधार पर 15741 वास्तुविदों के पंजीकरण का नवीनीकरण किया है और 4425 वास्तुविदों ने एकमुश्त नवीनीकरण का विकल्प चुना है और 6253 वास्तुविदों ने आवश्यक शुल्क का भुगतान करने के बाद वास्तुविदों की पंजिका में पुनः अपना नामांकन कराया है।

4. वैध पंजीकरण धारक वास्तुविदों को नवीन पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा पहचान पत्र निर्गत करना :

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान परिषद् ने निम्न वास्तुविदों को उनके विद्यमान प्रमाणपत्रों के समर्पण के बाद नवीन पंजीकरण तथा पहचान पत्र निःशुल्क निर्गत किये हैं :

- 1. 5181 विद्यमान पंजीकृत वास्तुविद
- 2. 16258 नवीन पंजीकृत वास्तुविद (01.01.2022 से 31.03.2023)

5. वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट अनुमान :

परिषद् की कार्यकारिणी समिति ने 25 फरवरी 2022 को आयोजित अपनी 236वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2022—2023 के बजट अनुमान, रु. 37,59,41,000/— की प्राप्य आय के समक्ष रु. 23,16,25,000/— के आवर्ती व्यय तथा रु. 14,43,00,000/— के अनावर्ती व्यय का अनुमोदन किया।

6. आय कर विभाग, भारत सरकार द्वारा वास्तुकला परिषद् कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि न्यास को मान्यता प्रदान करना :

परिषद् ने आय कर विभाग, भारत सरकार द्वारा वास्तुकला परिषद् कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि न्यास को मान्यता प्रदान करने के लिये आय कर विभाग के पास अनिवार्य आवेदन / प्रलेख प्रस्तुत किये हैं। इस संबंध में उक्त विभाग के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

7. वास्तुकला परिषद् द्वारा संग्रहीत सांविधिक शुल्कों एवं प्रभारों पर सेवा कर/जीएसटी का अधिरोपण :

सेवा कर प्रधान आयुक्त, दिल्ली—।। ने परिषद् को कारण बताओ सूचना (एससीएन) निर्गत किया है, जिसमें वित्त अधिनियम 1994 की धारा 75, 76, 77 व 78 के अंतर्गत ब्याज एवं दंड के अतिरिक्त, सेवा कर, शिक्षा उपकर एवं एचएसईसी के रूप में तथा प्राप्त / प्रदत्त विभिन्न सेवाओं पर रु. 1,73.60.950 /— की राशि की मांग की गई है।

परिषद् ने परिषद् की अपील सं. एसटी / 53090 ऑफ 2016—डीबी दिनांकित 15—12—2016 के द्वारा सेवा कर विभाग के दावे का विरोध किया है तथा रु. 17,36,095 /— की एक राशि जमा की है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय कर आयुक्त, जीएसटी दिल्ली पूर्व, नई दिल्ली ने आदेश सं. 85—86 / कौमर. / दिल्ली—ईएटी / ए.पी / 2021—22 दिनांकित 28—07—2022 के द्वारा, 01—04—2015 से 30—06—2017 तक की अविधि हेतु, वित्त अधिनियम 1994 की धारा 75, 76, 77 व 78 के अंतर्गत ब्याज एवं दंड के अतिरिक्त, सेवा कर, शिक्षा उपकर एवं एचएसईसी के रूप में तथा प्राप्त / प्रदत्त विभिन्न सेवाओं पर, रु. 2,53,84,776 /— की एक राशि की मांग की है।

परिषद् ने परिषद् की अपील सं. एसटी / 5194 / 2022—सीयू (डीबी) दिनांकित 01—08—2022 के द्वारा सेवा कर विभाग के दावे का भी विरोध किया है तथा सेवा कर मांग के पूर्व—जमा (अग्रिम) अर्थात् वित्त अधिनियम 1994 की धारा 83 के अंतर्गत मांगी गई एवं अनिवार्य पूर्व—जमा कुल मांग के 7.5 के प्रति वि.व. 2022—23 के दौरान रु. 19,03,860 / — की एक राशि जमा की है। इन अपीलों का परिणाम अब भी सीमा—शुल्क, उत्पाद—शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष लंबित है।

परिषद् को अधीक्षक / मूल्यांकनकर्ता / वरिष्ठ आसूचना अधिकारी, डीजीजीआई क्षेत्रीय इकाई, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की ओर से भी, 01–07–2017 से 31–03–2022 तक की अविध हेतु वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान के लिये, सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें अविध के दौरान प्राप्त आय / शुल्क के समस्त विवरण मांगे गये हैं। परिषद् ने जीएसटी विभाग द्वारा मांगे गये समस्त विवरण उपलब्ध करा दिये हैं।

वास्तुकला परिषद् कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नित विनियमावली, 1999 में संशोधन :

परिषद् ने बढ़े हुये कार्यभार के निस्तारण के लिये परिषद् में अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु वास्तुकला परिषद् कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियमावली, 1999 में संशोधन करने के लिये शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पास एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मंत्रालय के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

9. परिषद की कार्यकारिणी समिति के 5 सदस्यों का चयन :

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने चुनावों के संचालन हेतु श्री सैय्यद एकराम रिज़वी, संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

कार्यकारिणी समिति के 5 सदस्यों के चुनाव 16 जुलाई 2022 को आयोजित किये गये थे तथा परिषद् के सदस्यों ने निम्नलिखित सदस्यों को सर्वसम्मति से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के रूप में चुना :

- 1. वास्तुविद आर. रमेश कुमार
- 2. वास्तुविद पुनीत सेठी
- 3. वास्त्विद नंदलाल चंदेल
- 4. वास्तुविद लालिचन जकारियाज
- 5. वास्तुविद पी. वैतियानादिन

10. वास्तुकला संस्थानों के प्रमुखों में से परिषद् के पांच सदस्यों का चयन :

केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी ने 24 नवंबर 2022 को वास्तुकला संस्थानों के प्रमुखों में से परिषद् के पांच सदस्यों के चुनाव संचालित किये। निम्नलिखित सदस्यों का चयन किया गया था :

- 1. प्रोफे. अभय वी. पुरोहित
- 2. प्रोफे. किरण एस. महाजनी
- 3. प्रोफे. मिलिंद कोलेगल
- 4. प्रोफे. राधिका नागपाल
- 5. प्रोफे. सेंथिल कुमार

11. वास्तुकला परिषद के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चयन :

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने श्री एम.एल. सोनी, निदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को चुनावों के संचालन हेत् निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। चुनावों का आयोजन 3 अप्रैल 2023 को किया जायेगा।

12. अकादिमक सत्र 2022-2023 हेतु वास्तुकला संस्थानों का अनुमोदन :

वास्तुकला परिषद् ने अकादिमक सत्र 2022–2023 के दौरान उन 398 संस्थानों के अनुमोदन का विस्तार स्वीकार किया है जो देश में मान्यताप्राप्त वास्तुकला योग्यतायें प्रदान कर रहे हैं।

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, वास्तुकला स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिये 03 नवीन संस्थानों के अनुमोदन स्वीकृत किये गये थे तथा स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिये 10 विद्यमान संस्थानों के अनुमोदन स्वीकार किये गये थे। संस्थानों की राज्यवार संख्या निम्नानुसार सूचीबद्ध है :

राज्य	विद्यालयों की संख्या
आंध्र प्रदेश	8
असम	2
बिहार	2
छत्तीसगढ़	3
चंडीगढ़	1
दिल्ली	8
गोवा	1
गुजरात	24
हिमाचल प्रदेश	2
हरयाणा	14
झारखंड	2
जम्मू एवं कश्मीर	4
कर्नाटक	43
केरल	34
महाराष्ट्र	87
मेघालय	1
मध्य प्रदेश	16
मिजोरम	1
ओडिशा	7
पंजाब	14
पुड्डुचेरी	1
राजस्थान	14
तमिलनाडु	61
तेलंगाना	14
उत्तराखंड	3
उत्तर प्रदेश	23
पश्चिम बंगाल	8
कुल	398

इसके अतिरिक्त, विगत तीन वर्षों में बी.आर्क. पाठ्यक्रम में 30% से कम सीटें न भरने अथवा परिषद् के अनुमोदन हेतु आवेदन जमा न करने के कारण, अकादिमक सत्र 2022–2023 के दौरान 25 संस्थानों को बंद करने के निर्देश दिये गये थे।

13. वास्तुकला सहायकवृत्ति (आर्किटेक्चरल एसिसटेंटशिप) में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम(मों) के अनुमोदन की स्वीकृति : भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रिंस शिवाजी प्रकरण में दिये गये न्यायिक—निर्णय दिनांकित 08.11.2019 के द्वारा व्यवस्थित किया कि वास्तुकला शिक्षा में एआईसीटीई की कोई भूमिका नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, एआईसीटीई ने वास्तुकला सहायकवृत्ति/वास्तुकला/आंतरिक अभिकल्पना में डिप्लोमा प्रदान करनेवाले डिप्लोमा संस्थानों सहित वास्तुकला शिक्षा प्रदान करनेवाले संस्थानों के अनुमोदन स्वीकार करने पर रोक लगा दी है।

अकादिमक सत्र 2022—2023 के दौरान, परिषद् ने वास्तुकला सहायकवृत्ति / वास्तुकला / आंतरिक अभिकल्पना में डिप्लोमा प्रदान करने के लिये 48 नवीन डिप्लोमा संस्थानों का अनुमोदन तथा 32 संस्थानों का अनुमोदन विस्तार स्वीकृत किया है। 14. अकादिमक सत्र 2022—2023 हेतु पांच वर्षीय बी.आर्क उपाधि पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये वास्तुकला में राष्ट्रीय अभिक्षमता परीक्षा का संचालन : परिषद्, 5—वर्षीय बी.आर्क. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये एक एकल खिड़की परीक्षा के रूप में, प्रति वर्ष वास्तुकला में राष्ट्रीय अभिक्षमता परीक्षा (नाटा) संचालित कर रही है। नाटा 2022 का संचालन पूरे वर्ष में तीन बार किया गया था।

प्रथम परीक्षा का संचालन 12.06.2022 को, द्वितीय परीक्षा का संचालन 07.07.2022 को तथा तृतीय परीक्षा का संचालन 07.08.2022 को किया गया था। कुल 26009 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिये पंजीकरण कराया तथा कुल 22681 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुये। कुल उपस्थित अभ्यर्थियों में से 21540 अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की।

15. परिषद् द्वारा विभिन्न समस्याओं पर अनेक राज्य सरकारों / स्थानीय प्राधिकरणों को प्रेषित सूचना—संचार : प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, वास्तुविदों से अभ्यावेदनों की प्राप्ति पर परिषद् ने, स्थानीय निकायों द्वारा वास्तुकला का व्यवसाय करने के लिये वास्तुविदों का पंजीकरण तथा वास्तुकला पदों पर अ—वास्तुविदों की नियुक्ति से संबंधित समस्याओं पर, निम्नलिखित प्राधिकरणों को लिखित में स्चित किया है :

क्र.सं.	प्राधिकरण	विषय
1.	पश्चिम बंगाल सरकार, हावड़ा	ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण/अनुज्ञप्ति
2.	कूच बिहार नगर पालिका, कूच बिहार	कूच बिहार नगर पालिका के साथ पंजीकरण
3.	सामान्य प्रशासन विभाग, गुजरात	स्थानीय निकायों के साथ पंजीकरण
4.	सीयूएम सचिव शहरी नियोजन, चंडीगढ़	सीओए द्वारा निर्गत पंजीकरण के संशोधित / नवीन प्रमाणपत्र
		स्वीकार नहीं करना
5.	ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पंजाब	सीओए द्वारा निर्गत पंजीकरण के संशोधित / नवीन प्रमाणपत्र
		स्वीकार नहीं करना
6.	नगर एवं राष्ट्र नियोजन निदेशालय, चेन्नई	स्थानीय निकायों के साथ पंजीकरण
7.	राजस्थान सरकार, जयपुर	स्थानीय निकायों के साथ पंजीकरण
8.	जम्मू एवं कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश, जम्मू	व्यावसायिक सेवाओं की अनदेखी करने के लिये वास्तुविद के रूप
		में अ—वास्तुविद नियुक्त करना
9.	साइबर कॉर्पोरेशन मणिपुर लिमिटेड, पश्चिम इंफाल	संविदागत आधार पर सहायक वास्तुविद के पद पर भर्ती
10.	दिल्ली नगर निगम, दिल्ली	वास्तुकल श्रेणी के पदों हेतु न्यूनतम योग्यता
11.	भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण, भदोही	स्थानीय निकायों के साथ पंजीकरण
12.	रायरंगपुर नगर पालिका, ओडिशा	अपनी क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत, व्यवसाय अभ्यास हेतु प्रत्यायन के
		लिये एक वास्तुविद का नामिकायन
13.	उडुपी नगर परिषद, उडुपी	अपनी क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत, एक वास्तुविद के व्यवसाय
		अभ्यास हेतु वास्तुविदों का अनुज्ञप्तिकरण
14.	माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश	मुख्य वास्तुविद, लोनिवि के पद पर एक अ–वास्तुविद की नियुक्ति
15.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी,	सिकंदराबाद छावनी परिषद् की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत एक
	सिकंदराबाद	वास्तुविद के रूप में व्यवसाय करने पर प्रतिबध

16. परिषद् द्वारा वास्तुविदों के चयन/नियुक्ति पर विभिन्न सरकारी विभागों/उपक्रमों को प्रेषित सूचना—संचार :

परिषद् ने, वास्तुकला परिषद् के प्रतिस्पर्झी दिशानिर्देशों के अनुसार तथा परिषद् द्वारा निर्धारितानुसार शुल्कों के भुगतान पर वास्तुविद नियुक्त करने हेतु अनेक सार्वजनिक प्राधिकारों को लिखा है।

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, परिषद् ने निम्नलिखित संगठनों से वास्तुविदों के चयन / नियुक्ति के लिये परिषद् के प्रतिमानकों का अनुसरण करने का अनुरोध किया है :

- 1. टेलीकॉम कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली
- 2. उच्चतर शिक्षा निदेशालय, शिमला
- 3. वन विकास, महाराष्ट्र निगम, नागपुर
- 4. भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई
- 5. चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण, चेन्नई
- 6. एलएनएम सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, राजस्थान
- 7. लोक निर्माण विभाग, पुड्डुचेरी
- 8. चीनी आयोग, पुणे
- 9. इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर
- 10. हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास, हिमाचल प्रदेश
- 11. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ

- 12. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली
- 13. जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक, महाराष्ट्र
- 14. हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
- 15. औरंगाबाद नगर निगम, महाराष्ट्र
- 16. मत्स्य पालन निदेशक, असम
- 17. नगर निगम, पूणे
- 18. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नासिक
- 19. नवी मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र
- 20. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
- 21. कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली
- 22. अमृत भारत स्टेशन योजना, मृंबई

17. वास्तुकला अभ्यास की नियम-पुस्तिका :

परिषद् ने 28 व 29 अगस्त 2021 को आयोजित अपनी 75वीं बैठक में, वास्तुविद अधिनियम 1972 की धारा 22 तथा वास्तुविद (व्यावसायिक संहिता) विनियमावली 1989 के अनुसार निर्धारित वास्तुकला अभ्यास की नियम—पुस्तिका का अनुमोदन किया।

नियम—पुस्तिका के पांच खण्ड हैं, नामतः, खण्ड 1 – वास्तुकला अभ्यास हेतु दिशानिर्देश, खण्ड 2 – वास्तुविदों की कार्यव्यस्ति तथा वास्तुकला प्रतिस्पर्द्धाओं की संहिता हेतु दिशानिर्देश, खण्ड 3–वास्तुकला अनुबंधों हेतु दिशानिर्देश, खण्ड 4–वास्तुकला सेवाओं एवं शुल्कों हेतु दिशानिर्देश और खण्ड 5–फर्मों के प्रबंधन हेतु दिशानिर्देश। नियम—पुस्तिका का विमोचन पूरे भारत में निम्नलिखित स्थानों पर किया गया था:

क्र.सं.	दिनांक	स्थान
1.	25.06.2022	मुंबई
2.	26.06.2022	त्रिवेंद्रम
3.	22.07.2022	इंदौर
4.	05.08.2022	बेंगलुरु
5.	14.08.2022	रांची
6.	20.08.2022	चेन्नई
7.	27.08.2022	फरीदाबाद
8.	28.08.2022	चंडीगढ़
9.	04.09.2022	रायपुर
10.	10.09.2022	नागपुर
11.	23.09.2022	कोच्चि
12.	03.10.2022	इंफाल
13.	04.11.2022	लखनऊ
14.	06.11.2022	दिल्ली
15.	09.12.2022	अहमदाबाद
16.	10.12.2022	राजकोट
17.	16.12.2022	पणजी

18. सरकारी सेवाओं में वास्त्विदों की भूमिका पर नियम-पुस्तिका :

परिषद् ने अपनी 76वीं बैठक में सरकारी सेवाओं में वास्तुविदों की भूमिका पर परिषद् के दिशानिर्देश / नियम—पुस्तिका अनुमोदित की। नियम—पुस्तिका, वास्तुविदों की सेवागत दशायें तथा वास्तुकला स्कंधों की आदर्श श्रेणी संरचना निर्धारित करती है। इसे, समस्त राज्यों के मुख्य सचिवों, सचिव, लोनिवि, इत्यादि को उनके अभिग्रहण / क्रियान्वयन के लिये प्रेषित किया गया है।

- 19. वास्तुविद अधिनियम 1972 में संशोधन :परिषद् ने वास्तुविद् अधिनियम 1972 की धारा 37 में संशोधन के लिये भारत सरकार के पास एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य अयोग्य एवं अप्रशिक्षित व्यक्तियों को वास्तुकला का अभ्यास करने से प्रतिबंधित करना है। अध्यक्ष, सीओए ने प्रस्तावित संशोधनों पर अग्रकर्म करने के लिये माननीय शिक्षा मंत्री से हाल ही में भेंट की है। इसके अतिरिक्त, परिषद् ने अपनी 79वीं (आकर्स्मिक) बैठक में, वास्तुविद अधिनियम 1972 में व्यापक संशोधन करने हेतु भी प्रस्ताव अनुमोदित किया है। संशोधन में निम्नलिखित समस्याओं को सिम्मलित किया जायेगा :
 - i) ''वास्तुकला सेवाओं'' की परिभाषा का परिचय ताकि इन सेवाओं को वास्तुविदों हेत् आरक्षित किया जा सके;
 - ii) स्वतंत्र रूप में अभ्यास करने के लिये व्यवसाय में प्रवेश करनेवाले वास्तुविदों की योग्यतायें सुनिश्चित करने व्यावसायिक अभ्यास परीक्षा का प्रारंभ;
 - iii) वास्तुविदों को व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक दायित्व से बचाने तथा एक पृथक विधिक निकाय के साथ संगठन का न्यून जटिल स्वरूप अपनाने के लिये, वास्तुविदों द्वारा वास्तुकला सेवायें उपलब्ध कराने हेतु संगठन के एलएल.पी. फॉर्म का प्रारंभ;

- iv) मान्यताप्राप्त योग्यता के लिये दो अनुसूचियों का प्रारंभ एक, पूर्वस्नातक योग्यताओं के लिये तथा द्वितीय, स्नातकोत्तर योग्यताओं के लिये, तािक एक वास्तुविद के रूप में पंजीकरण हेतु आवश्यक योग्यता तथा अतिरिक्त योग्यताओं में अंतर किया जा सके और पीजी योग्यताओं को अधिनियम के अंतर्गत मान्य किया जा सके;
- v) वास्तुकला परिषद् के नाम में "इंडिया" शब्द का उल्लेख प्रारंभ करना, ताकि परिषद् को एक राष्ट्रीय स्तर की पहचान प्राप्त हो।
- vi) अधिमात्रा में आंकड़ा की सुरक्षा एवं आर्थिक संरक्षण के लिये तथा सभी संबंधित व्यक्तियों/संस्थानों तक इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वास्तुविदों की पंजिका की ''इलेक्ट्रॉनिक'' प्रतियां अनुरक्षित करने के लिये।
- vii) यह सुनिश्चित करने के लिये कि सार्वजनिक भवनों का निर्माण अत्यधिक सौंदर्यपरक एवं कार्यगत विधि से पूर्णरूपेण व्यावसायिक सहयोग के साथ किया जाता है, सरकारी विभागों में वास्तुकला पदों पर केवल एक वास्तुविद की नियुक्ति।
- viii) अ–वास्त्विदों द्वारा वास्त्कला सेवायें उपलब्ध कराने पर प्रतिबंधन का प्रारंभ।
- ix) स्थानीय निकायों द्वारा वास्तुविदों के भावी पंजीकरण पर प्रतिबंधजन्य उपवाक्य का प्रारंभ, ताकि वास्तुविदों को व्यवसाय के अभ्यास हेतू प्रत्येक स्थानीय निकाय में पंजीकरण कराने के लिये विवश न होना पड़े।
- x) वास्तुविदों के विरुद्ध व्यावसायिक कदाचार हेत् दर्ज शिकायतों पर परिषद द्वारा शुल्क वसुलीकरण के प्रावधानों को समर्थ बनाना।

20. परिषद् द्वारा आर्थिक रूप में संकटग्रस्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का अनुदान :

परिषद् ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये बजट प्राक्कलनों में रु. 20 करोड़ की एक राशि निर्धारित की है। उक्त जमाराशि पर उपार्जित ब्याज का उपयोग, अभावग्रस्त एवं आर्थिक रूप में संकटग्रस्त विद्यार्थियों तथा अपने धनार्जनकारी पारिवारिक सदस्यों को गंवा चुके विद्यार्थियों हेतु स्वीकृत जानेवाली छात्रवृत्ति का समर्थन करने के लिये किया जायेगा, तािक पारिवारिक वित्तीय अक्षमता के कारण उनकी शिक्षा–दीक्षा प्रभावित न हो।

इसके अतिरिक्त, इस उद्देश्य हेत् निम्नलिखित सदस्यों से युक्त एक सिमति का गठन किया गया है :

- 1. अध्यक्ष, सीओए
- 2. उपाध्यक्ष, सीओए
- 3. अध्यक्ष, आईआईए
- 4. निदेशक, एसपीए, नई दिल्ली
- 5. वास्तुविद बंसन सिंह थांगखिव
- 6. वास्तुविद पर्सी इंजीनियर
- 7. वास्त्विद जीत कुमार गुप्ता
- 8. केंद्र सरकार का नामिती
- 9. रजिस्ट्रार, सीओए, सदस्य-सचिव
- 21. कोविड—19 महामारी के कारण अकादिमिक सत्र 2021—2022 के बी.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्यता मानदंड में छूट : परिषद् ने, देश में महामारी की स्थिति पर विचार करने के बाद तथा केंद्र सरकार द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णय के अनुसरण में भी, बी.आर्क. में प्रवेश हेतु योग्यता के रूप में, पीसीएम विषयों के साथ 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने को ही मानक रखने का निर्णय लिया है।

परिषद् ने, संसदीय समिति द्वारा वास्तुकला पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने में विद्यार्थियों की सहसा कम होती संख्या के बारे में अभिव्यक्त चिंताओं को ध्यान में रखकर, 10+2 स्तर पर पीसीएम विषय होने की आवश्यकता को संशोधित करने के लिये, केंद्र सरकार से अनुशंसा भी की है।

- 22. शिक्षा एवं खेल मंत्रालय पर राज्य सभा की संसदीय स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुति : अध्यक्ष, सीओए, ने परिषद् के कार्यलापों तथा वास्तुविद अधिनियम 1972 में संशोधनों की आवश्यकता और विभिन्न अन्य संबंधित समस्याओं पर, मार्च 2022 में शिक्षा एवं खेल मंत्रालय पर राज्य सभा की संसदीय स्थायी समिति के समक्ष एक विस्तृत प्रस्तुति दी।
- 23. व्यावसायिक कदाचार की शिकायतें : वास्तुविद अधिनियम 1972 की धारा 22 एवं 30, परिषद् को व्यावसायिक कदाचार के लिये वास्तुविदों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिदेश देती हैं। केंद्र सरकार ने ऐसी शिकायतों का समाधान करने हेतु निर्धारित की गईं प्रक्रियाओं के साथ—साथ वास्तुकला परिषद् नियमावली 1973 बनाई है। प्रतिवेदनाधीन अविध के दौरान परिषद् ने वास्तुविदों के विरुद्ध 18 नवीन शिकायतें प्राप्त कीं।

वास्तुकला परिषद् नियमावली 1973 के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने, परिषद् द्वारा संदर्भितानुसार कथित व्यावसायिक कदाचार के लिये वास्तुविदों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करने हेतु, गजट अधिसूचना द्वारा, समय—समय पर अनुशासनात्मक समिति का गठन किया है।

वास्तुविद आशुतोष कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष तथा वास्तुविद एम.पी. सिंह एवं वास्तुविद अमोघ कुमार गुप्ता, अनुशासनात्मक सिनित के सदस्य थे। अनुशासनात्मक सिनित की दो बार अर्थात् 06.05.2022 एवं 01.08.2022 को बैठकें हुईं तथा बैठकों का संचालन हाईब्रिड माध्यम से किया गया था। सिनित ने 04 शिकायती प्रकरणों की जांच—पड़ताल की। अधिनियम की धारा 30 के प्रावधानों के अनुसरण में, परिषद् ने 07.11.2022 को आयोजित अपनी 78वीं बैठक में, सुनवाई का अवसर प्राप्त होने पर निम्नलिखित आदेश पारित किये:

1. वास्त्विद लथिका आई. नायर, तिरुवनंतपुरम – फटकारा गया।

- 2. वास्तुविद बेला गोधा, भोपाल एक वर्ष की एकाविध के लिये एक वास्तुविद के रूप में कार्य करने से निलंबित किया गया (माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने परिषद के आदेश को स्थगित कर दिया)।
- 3. वास्तुविद नबीन पातरा, नई दिल्ली 2 वर्षों की एकावधि के लिये एक वास्तुविद के रूप में कार्य करने से निलंबित किया गया।
- 4. वास्त्विद हर्षित साध, वडोदरा फटकारा गया।

24. विदेशी योग्यताओं की मान्यता पर समिति :

वास्तुविद अधिनियम 1972 की धारा 15 के अनुसरण में, केंद्र सरकार वास्तुविद अधिनियम 1972 के उद्देश्यों हेतु वास्तुकला परिषद् के साथ परामर्शन करने के बाद विदेशी वास्तुकला योग्यताओं को मान्यता प्रदान करने के लिये सशक्त है। परिषद् ने केंद्र सरकार से प्राप्त संदर्भों पर विचार करने तथा इनका प्रतिवेदन बनाने के लिये एक समिति गठित की है।

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, परिषद् को वास्तुविद अधिनियम के अंतर्गत विदेशी वास्तुकला योग्यताओं की मान्यता पर परिषद् से परामर्शन करने हेतु 03 नवीन संदर्भ प्राप्त हुये हैं। इसके बाद, समिति की 03 बार बैठकें हुईं तथा इसने केंद्र सरकार से प्राप्त प्रकरणों पर विचार–विमर्श किया और अपना पूर्ण प्रतिवेदन परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया।

25. वास्तुविदों के रूप में मिथ्या प्रस्तुतिकरण करनेवाले मिथ्या—वास्तुविदों (क्वैक्स) के विरुद्ध शिकायतें : वास्तुविद अधिनियम 1972 की धारा 36 एवं 37, वास्तुविद के नाम एवं शैली के दुरुपयोग पर प्रतिबंध अधिरोपित करती हैं तथा यदि कोई भी व्यक्ति वास्तुविद के नाम एवं शैली का दुरुपयोग करता है अथवा स्वयं को एक वास्तुविद के रूप में अनुचित ढंग से प्रस्तुत करता है, तो उस पर इस अपराध के लिये रु. 500/— का अर्थदंड लगाया जायेगा।

प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान, परिषद् को 53 ऐसी शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें अ—वास्तुविदों द्वारा वास्तुविद अधिनियम 1972 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था तथा प्रकरण में परिषद् द्वारा समुचित कार्रवाई की गई।

26. आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना का संप्रेषण :

आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसरण में, श्री दीपक कुमार, प्रशासनिक अधिकारी, परिषद् में जन सूचना अधिकारी हैं तथा श्री राज कुमार ओबराय, रजिस्ट्रार, परिषद् में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं।

प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान, परिषद् ने 82 आरटीआई आवेदनों के संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराई तथा आरटीआई अधिनियम के अनुसार 9 प्रथम अपीलों का समाधान किया। परिषद् ने आरटीआई आवेदनों तथा उत्तरवर्ती अपीलों की संख्या घटाने के लिये पब्लिक डोमेन में अधिक से अधिक सूचना प्रसारित करने के प्रयास किये हैं।

27. न्यायालयी प्रकरण :

प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान, परिषद् ने वास्तुविद अधिनियम 1972 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत विरचित विनियमावली के अनुरूप निम्नलिखित नवीन न्यायालयी प्रकरणों का प्रबंधन किया :

क्र.सं.	नाम	न्यायालय	सम्मिलित समस्या	वर्तमान स्थिति
1	वास्तुविद पी. सतीश कुमार विरुद्ध भारतीय संघ, वास्तुकला परिषद (सीओए) एवं अन्य। डब्ल्यू.पी. नं. 13608 ऑफ 2022	मद्रास उच्च न्यायालय	तमिलनाडु राज्य के नामिती व्यक्ति के रूप में नामांकन	निस्तारित
2	मैकगन्स ऊटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर (टीएन16) विरुद्ध वास्तुकला परिषद डब्ल्यू.पी. नं. 24833 ऑफ 2022	मद्रास उच्च न्यायालय	बी.आर्क. पाठ्यक्रम का महाविद्यालयी अनुमोदन	लंबित
3	वास्तुविद पी. सतीश कुमार विरुद्ध भारतीय संघ, वास्तुकला परिषद (सीओए) एवं अन्य डब्ल्यू ए. नं. 2223 ऑफ 2022 इन डब्ल्यू पी. (सी) नं. 13608 ऑफ 2022	डिवीजन बेंच, मद्रास उच्च न्यायालय	एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील	निस्तारित
4	स्वर्गीय बाहुसाहेब हीरे ट्रस्ट के डॉ. बलिराम हीरे कॉलेज विरुद्ध	मुंबई उच्च न्यायालय	बी.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश में कमी के लिये परिषद द्वारा निर्गत	निस्तारित

	भारतीय संघ एवं अन्य		कारण बताओ सूचना	
	डब्ल्यू.पी. नं. 12211 ऑफ 2022		को चुनौती देना।	
5	सुश्री वी. निथिला	मद्रास उच्च न्यायालय	बी.आर्क. पाठ्यक्रम में	निस्तारित
	विरुद्ध		प्रवेश	
	वास्तुकला परिषद			
	डब्ल्यू.पी. नं. 27512 ऑफ 2022			
6	स्वर्गीय बाहुसाहेब हीरे ट्रस्ट के	मुंबई उच्च न्यायालय	एम.आर्क. पाठ्यक्रम में	निस्तारित
	डॉ. बलिराम हीरे कॉलेज		प्रवेश में कमी के लिए	
	विरुद्ध		परिषद् द्वारा निर्गत	
	भारतीय संघ एवं अन्य		कारण बताओ सूचना	
	डब्ल्यू.पी. नं. २७०६० ऑफ २०२२		को चुनौती देना।	
7	(सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार)	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	बी.आर्क. पाठ्यक्रम में	निरस्त
	एसएलपी (सिविल) नं. 002230 ऑफ 2023		देर से प्रवेश	
	डायरी नं. 1085			
	रजिस्ट्रार, वास्तुकला परिषद्			
	विरुद्ध पलक दीक्षित एवं अन्य			
8	स्वर्गीय बाहुसाहेब हीरे ट्रस्ट के	मुंबई उच्च न्यायालय	बी.आर्क. पाठ्यक्रम में	लंबित
	डॉ. बलिराम हीरे कॉलेज		प्रवेश में कमी के लिए	
	विरुद्ध		परिषद के निर्णय को	
	भारतीय संघ एवं अन्य		चुनौती देना	
	डब्ल्यू.पी. नं. 28814 ऑफ 2022			
9	वास्तुविद बेला अग्रवाल	दिल्ली उच्च न्यायालय	व्यावसायिक कदाचार	लंबित
	विरुद्ध		के लिये परिषद द्वारा	
	वास्तुकला परिषद्		वास्तुविद व्यवसाय से	
	डब्ल्यू.पी. नं. 16402 ऑफ 2022		निलंबन	
10	श्री एस. मोहम्मद रायफान	मद्रास उच्च न्यायालय	बी.आर्क. पाठ्यक्रम में	निरस्त
	विरुद्ध		प्रवेश।	
	अध्यक्ष, वास्तुकला परिषद्			
	डब्ल्यू. पी. नं. 35118 / 2022			
11	पियम जिगेश दवे	गुजरात उच्च न्यायालय	अन्य संस्थान में	निस्तारित
	विरुद्ध	अहमदाबाद	स्थानांतरण के लिये	
	एसएएल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर		संस्थान द्वारा एनओसी	
	आर / विशेष सिविल आवेदन सं.		न देना।	
	26805 ऑफ 22 जो			
	एससीए / 42006 / 2022 से परिवर्तित			
12	असाधारण सिविल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत	नई दिल्ली का	विदेशी योग्यता की	लंबित
	डब्ल्यू.पी. © नं. 4100 ऑफ 2023	उच्च न्यायालय	मान्यता तथा एक	
	के प्रकरण में		वास्तुविद के रूप में	
	डोबरिया मोहित रामनिकल		पंजीकरण।	
	विरुद्ध			
	भारतीय संघ एवं अन्य			
L	<u>'</u>	1		

लगभग 100 प्रकरण, जिनमें वास्तुविद अधिनियम 1972 के उल्लंघन पर परिषद द्वारा की गई आपराधिक शिकायतें भी सम्मिलित हैं, अनेक न्यायालयों में लंबित हैं।

28. वास्तुविद अधिनियम 1972 की धारा 3(3)(एफ) के अंतर्गत परिषद् के एक सदस्य क नामांकन हेतु मानदंड स्थापित करना प्रकरण: माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने, 2021 की समादेश याचिका सं. 16114 में अपने आदेश दिनांकित 08.01. 2023 के अनुच्छेद 16 (III) में निम्नानुसार आदेशित किया है :--

''केंद्र सरकार (भारतीय संघ), नियमों द्वारा, जितना शीघ्र हो सके, योग्यता एवं अनुभव के आधार पर परिषद् के सदस्यों के नामांकन हेतु निश्चित मानदंड अधिसूचित करने के कार्यवाही करेगा, जो कि प्रत्येक राज्य की सरकार के लिये बाध्यकारी होंगे।''

परिषद् ने इस प्रकरण में मंत्रालय के समक्ष अपने सुझाव भी प्रस्तुत किये हैं तथा वास्तुकला परिषद् नियमावली 1973 में समुचित संशोधन किये जाने शेष हैं। 29. बी.आर्क. पाठ्यक्रम में जलवायु परिवर्तन के विषय का प्रारंभ : वैश्विक परिदृश्य में अत्यंत तात्कालिक रूप से तथा बारंबार अनुभव किये जा रहे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर विचार करने के पश्चात् परिषद् ने, इस विषय को बी.आर्क. पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। जलवायु परिवर्तन पर गठित अंतरशासकीय पैनल ने 2021 में मानवता को ध्यान में रखकर एक कोड रेड अलर्ट निर्गत किया है। अलर्ट के अनुसार आकलन किया गया है कि संकट की घंटियां हमें बहरा करने वाली हैं तथा इस संदर्भ में जो भी साक्ष्य एकत्र किये गये हैं वे अकाट्य हैं : जैसे कि जीवाश्म—ईंधन के जलने तथा वनों के कटान के कारण होनेवाला ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन हमारे इस पृथ्वी ग्रह का दम घोंट रहा है तथा इससे अरबों लोगों के जीवन पर आसन्न जोखिम मंडरा रहा है। वैश्विक तापन से पृथ्वी का प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, इस परिस्थित में कई परिवर्तन ऐसे हैं जो निरंतर स्थिर बने हये हैं।

इस बात पर भी विचार किया गया है कि भारत अब विश्वभर में तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है, जो 2020 में विश्व के कुल कार्बन उत्सर्जन में सात प्रतिशत का भागीदार था तथा भवनों द्वारा भारत के कुल कार्बन उत्सर्जन में लगभग 38 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। हमें ज्ञात है कि भवन, जलवायु परिवर्तन के संकटों जैसे कि लू अर्थात ग्रीष्म ताप, तूफानों और बाढ़ से हमें बचाने हेतु हमारे प्रथम सुरक्षास्थल भी हैं। सन् 2021 में आयोजित देशों के सीओपी26 सम्मेलन में, प्रधानमंत्री ने सन् 2070 तक भारत के उत्सर्जन को शून्य स्तर तक कम करने के लिये पंचामृत लक्ष्यों की घोषणा की है।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करने, तथा अपनी संपत्ति एवं जीवन की सुरक्षा करने के लिये हमें नेट—जीरो व जलवायु प्रतिरोधी भवनों की आवश्यकता है। यदि वास्तुविद, भवन अभिकल्पकों (बिल्डिंग डिजाइनर्स) के रूप में पर्यावरण प्रबंधकों के रूप में उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं, तो शमन एवं अनुकूलन के रूप में जलवायु सक्रियता हेतु प्रबोध व योग्यतायें बढ़ाने का कार्य, भविष्य के समस्त भवन व्यवसायियों की विशेषताओं एवं कुशलताओं का एक अभिन्न अंग होना ही चाहिये।

वास्तुकला शिक्षा के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं का समाधान ढूंढने के क्रम में, वास्तुकला परिषद् के अध्यक्ष ने एक उप—समिति का गठन किया है, जिसमें वास्तुविद विशाल व्यास, संयोजक, प्रोफे. प्रसाद वैद्य, सदस्य, प्रोफे. अशोक बी. लाल, सदस्य, वास्तुविद संदीप शिर्क, प्रोफे. हिना जिया, सदस्य, प्रोफे. राजीव मिश्रा, सदस्य, डा. विजयलक्ष्मी अय्यर, सदस्य, डा. आनंद अचारी, सदस्य, प्रोफे. सुरेश मूर्ति, सदस्य, वास्तुविद स्वाति पुचलपल्ली, सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं, जो वास्तुकला संस्थानों के पाठ्यक्रम में समुचित परिवर्तन के सुझाव देने के लिये वास्तुकला परिषद् की सहायता करेंगे। समिति शीघ्र ही इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

30. विभिन्न विभागों / संगठनों के साथ निष्पादित समझौता ज्ञापन :

वास्तुविद अधिनियम 1972 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के क्रम में परिषद् ने बीईई, जीआरआईएचए, आईपीए, आईजीबीसी, इत्यादि के साथ एमओयू (समझौता ज्ञापन) निष्पादित किये हैं।

परिषद् तथा एसईपीसी (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) ने वास्तुकला सेवाओं के निर्यात को संवर्द्धित करने तथा परिषद् एवं विदेशी वास्तुविद पंजीकरण प्राधिकरणों के मध्य एमआरए को सरल बनाने और अन्य संबंधित समस्याओं के लिये भी साथ मिलकर कार्य करने हेतु 13.05.2022 को एक एमओयू (समझौता ज्ञापन) निष्पादित किया है।

इसके अतिरिक्त, परिषद् ने निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से 14.02.2023 को दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के साथ भी एक एमओयू (समझौता ज्ञापन) निष्पादित किया है :

- बी.आर्क. पाठ्यक्रम में दिव्यांग जनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए सार्वभौमिक संपर्क, संपर्कगत विशेषताओं से संबंधित अनिवार्य क्रेडिट्स/मॉड्यूल्स इत्यादि का समावेशन।
- दिव्यांग जनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए सार्वभौमिक संपर्क, संपर्कगत विशेषताओं से संबंधित व्यवसायरत् वास्तुविदों / शिक्षाविदों / संकाय सदस्यों हेतु पुनश्चर्या पाठ्यक्रम विकसित एवं वितिरत करना, तािक भविष्य की समस्त भवनों को ऐसी अनिवार्य विशेषताओं के साथ अभिकित्यत एवं नियोजनबद्ध किया जा सके।
- सीओए एवं डीईपीडब्ल्यूडी, वास्तुविदों के लिये विशेषज्ञता सृजित करने के उद्देश्य से एक प्रमाणित पाठ्यक्रम विकसित करके, संपूर्ण भारत में भवनों का संपर्कगत अंकेक्षण करने वास्तुविदों को सुविधा देने के लिये, साथ मिलकर कार्य करेंगे।
- सीओए एवं डीईपीडब्ल्यूडी समस्त स्थानीय स्वायत्त्तशासी शासकीय संस्थानों, जैसे कि विकास प्राधिकरण, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, छावनी बोर्ड एवं नगर परिषवों, इत्यादि तक संपर्क साधने के लिये साथ मिलकर कार्य करने पर सहमत हैं, तािक यह पता लगाया जा सके कि भवन योजनाओं के अनुमोदन एवं भवनों का कार्य—समापन प्रमाणपत्र निर्गतन के लिये स्थानीय भवन उपनियमों में संपर्कगत प्रतिमानक सिम्मिलित किये गये हैं अथवा नहीं।
- भीओए एवं डीईपीडब्ल्यूडी, एक व्यापक प्रलेख/नियम—पुस्तिका विकसित करने के लिये साथ मिलकर काम करेंगे, जिसमें विद्यमान दिशानिर्देशों / प्रलेखों / मानकों (राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय) के सर्वोत्तम अभ्यास सम्मिलित किये जायेंगे, जो सार्वभौमिक रूप में सुलभ प्रतिमानकों एवं उनके क्रियान्वयन को अंगीकार करने, समस्त वास्तुविदों एवं अन्य भवन—निर्माण व्यवसायियों के उपयोग हेत उपलब्ध होंगे।
- भीओए एवं डीईपीडब्ल्यूडी, सार्वजनिक स्थानों एवं भवनों को दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिये सुलभ बनाने के विषय का प्रचार करने तथा इस पर जागरूकता फैलाने हेतु कार्यशालाओं, सभाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों / सुलभयोग्यता से संबंधित अभिकल्पना (डिजाइन) प्रतियोगिता, इत्यादि का संयुक्त रूप में संचालन—आयोजन कर सकते हैं।

- 🕨 सीओए एवं डीईपीडब्ल्युडी, इस एमओयू के उद्देश्यों को आगे बढाने के लिये कोई भी अन्य गतिविधि संपन्न करेंगे।
- डीईपीडब्ल्यूडी, जब भी जैसे भी आवश्यकता पड़ने पर, एमओयू के उद्देश्य प्राप्त करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करके सीओए को सहयोग प्रदान कर सकता है।

सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी ने डीईपीडब्ल्यूडी एवं अध्यक्ष, सीओए ने वास्तुकला परिषद की ओर से एमओयू पर हस्ताक्षर किये। परिषद् को ऑरोविले फाउंडेशन से भी साथ मिलकर कार्य करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है तथा शीघ्र ही इस संबंध में नियमों व शर्तों को अंतिम रूप दिया जायेगा।

- 31. विदेशी प्राधिकरणों /प्राधिकारियों द्वारा भारतीय वास्तुकला योग्यताओं की मान्यता हेतु पारस्परिक मान्यता अनुबंध :परिषद्, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता एवं सहयोग से विदेश में भारतीय वास्तुकला योग्यताओं की मान्यता हेतु यूके, ऑस्ट्रेलिया तथा यूएस के प्राधिकारियों के साथ सक्रियतापूर्वक संवाद कर रही है।
- 32. परिषद् द्वारा एक वास्तुविद के रूप में पंजीकरण की स्वीकृति से पूर्व व्यावसायिक परीक्षा का संचालन : परिषद् ने 12 मार्च 2023 को आयोजित अपनी 79वीं बैठक में, एक वास्तुविद के रूप में पंजीकरण की स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व व्यावसायिक परीक्षा प्रारंभ करने की आवश्यकता पर विचार किया। परिषद् ने इस बिंदु पर विचार किया कि व्यावसायिक अभ्यास परीक्षा, कॉर्पोरेट अभ्यास तथा अ—वास्तुविदों द्वारा वास्तुकला के अभ्यास पर प्रतिबंध के बिना, यह विदेश प्राधिकरणों / प्राधिकारियों के साथ एमआरए पर अंतिम निर्णय नहीं कर सकती।

परिषद ने विचार किया कि व्यावसायिक परीक्षा को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारणों से प्रारंभ करने की आवश्यकता है :

- पंजीकरण की वर्तमान प्रणाली, अधिसंख्य अन्य देशों में वास्तुविदों के पंजीकरण अभ्यासों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं है। अधिसंख्य अन्य देशों में वास्तुकला अभ्यास का पंजीकरण करने के लिये, वास्तुविदों की योग्यता एवं क्षमताओं का परीक्षा—आधारित मूल्यांकन होता है।
- 2. हालांकि वर्तमान रूपरेखा, वास्तुविद अधिनियम के अंतर्गत वास्तुविदों के रूप में मान्यताधारक होने एवं वास्तुविद पुकारे जाने के लिये उन लोगों को समर्थ नहीं बनाती है, जिनके पास योग्यता तो है किंतु औपचारिक उपाधि नहीं है।
- उस्तिम योग्यता के उपाधि—आधारित पंजीकरण से अब तक सेवा का उत्तम निष्पादन हुआ है, तथापि यह प्रक्रिया पर्याप्त रूप में सुनिश्चित नहीं करती है कि सक्षम एवं योग्य वास्तुविदों को वास्तुकला अभ्यास की अनुमित है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वास्तुकला व्यवसाय की, लोगों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अतिरिक्त पर्यावरण को संरक्षित, ऊर्जा व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को सुनिश्चित करने में वृहत्तर भूमिका है।
- 4. वर्तमान में, जबकि "वास्तुविद" की उपाधि वास्तुविद अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित है, तो इस परिस्थिति में सामान्य भोले–भाले जनों को अनेक अयोग्य एवं संभवतः अक्षम व्यवसायियों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवायें वास्तव में सेवायें नहीं हैं। भारत में तीव्रतापूर्वक हो रहे नगरीकरण तथा जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितताओं के संदर्भ में, इस तरह का अभ्यास भविष्य में बड़ी समस्यायें उत्पन्न कर सकता है।
- 5. भारतीय विधि—व्यवस्थाओं में परिव्याप्त त्रुटियों का लाभ उठाकर विदेशी सेवा प्रदातागण वास्तुकला एवं संबंधित सेवायें भी उपलब्ध कराते हैं क्योंकि यहां विधि—व्यवस्था के अंतर्गत इसका कोई निषेध नहीं है।
- 6. व्यावसायिक अभ्यास परीक्षा नहीं होने के कारण, परिषद्, विदेश में प्राधिकारियों / प्राधिकरणों द्वारा भारतीय वास्तुकला की योग्यताओं की मान्यता के लिये, पारस्परिक व्यवस्थायें अपनाने तथा अपनी व्यावसायिक सेवायें प्रदान करने हेतु भारतीय वास्तुविदों के लिये वैश्विक अवसर खोलने में, असमर्थ है।

व्यावसायिक परीक्षा संचालित करने का प्रस्ताव, केंद्र सरकार के पास इसके अनुमोदन हेत् प्रस्तूत किया जायेगा।

33. भारत में रोजगार प्राप्त करने के लिये वास्तुकला में विदेशी स्नातकोत्तर (पीजी) योग्यताओं की समकक्षता : परिषद् को विदेश से वास्तुकला में अपनी स्नातकोत्तर योग्यतायें पूर्ण कर चुके वास्तुविदों से अनेक अभ्यावेदन तथा सार्वजनिक शिकायतें प्राप्त होती हैं कि उनकी योग्यताओं को भारत में वास्तुकला में स्नातकोत्तर की उपाधि के समान मान्यता नहीं मिलती / समकक्ष नहीं माना जाता है।

इस प्रकरण के बारे में मंत्रालय के पदाधिकारियों से भी विचार-विमर्श हुआ तथा मंत्रालय इच्छुक है कि कुछ पूर्व-निर्धारित मानकों के आधार पर समकक्षता की स्वीकृति हेतु एक योजना बनाई जाय, जिसमें भारत में विदेशी स्नातकोत्तर (पीजी) योग्यताओं की समकक्षता की स्वीकृति हेतु परीक्षा का संचालन भी सम्मिलित हो, तािक संबंधित वास्तुविद अपनी उच्चतर योग्यताओं से लाभान्वित हो सकें।

तदनुसार, डॉ. वंदना सहगल एवं डॉ. मीनाक्षी जैन, सदस्य, डॉ. कविता डी. राव, विशेष आमंत्रित सदस्य, डॉ. पी. एस.एन. राव, विशेष आमंत्रित सदस्य तथा डॉ. ए. श्रीवत्सन, विशेष आमंत्रित सदस्य के संयोजकत्व के अंतर्गत, परिषद द्वारा वास्तुकला में भारतीय स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्चक्रम के साथ वास्तुकला में विदेशी स्नातकोत्तर (पीजी) योग्यताओं की समकक्षता की स्वीकृति के लिये योजना व कार्यतंत्र व्यवस्थित करने के लिये, एक उप–समिति गठित की गई थी।

प्रकरण पर गंभीर चिंतन—मनन करने के बाद समिति ने वास्तुकला में स्नातकोत्तर की उपाधि की समकक्षता के सुविधाजन्य सरलीकरण हेतु एक स्वचालित प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव रखा है, जो कि सीओए वेबसाइट पर समकक्षता का आवेदन करने हेतु सुगमतापूर्वक सुलभ, समयबद्ध, एकल खिडकी आधारित, निष्पक्ष तथा उददेष्यपुर्ण है।

परिषद् ने 12 मार्च 2023 को आयोजित अपनी 79वीं बैठक में विदेशी स्नातकोत्तर (पीजी) योग्यता योजना का अनुमोदन किया तथा क्रियान्वयन के लिये इसे शिक्षा मंत्रालय के समक्ष उसका अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया। मंत्रालय के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

34. एक वास्तुविद के रूप में पंजीकरण हेतु अनुचित प्रलेख प्रस्तुत करने की दोषसिद्धि :

परिषद् ने बदलापुर पुलिस स्टेशन, ढाणे में श्री संजय गोपाल जाधव के विरुद्ध परिषद् से पंजीकरण सं. सीए / 96 / 20473 प्राप्त करने के लिये मिथ्या प्रलेख प्रस्तुत करने हेतु एक प्राथमिकी (एफआईआर) प्रस्तुत की है। तद्नुसार, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 463, 471 तथा वास्तुविद अधिनियम 1972 की धारा 36 व 37 के अंतर्गत प्राथमिकी (एफआईआर) सं. ।—71 / 2002 पंजीकृत की गई थी। पुलिस ने प्राथमिक के अनुसार जांच—पड़ताल करने के बाद प्रकरण में सक्षम न्यायालय के समक्ष एक आरोप—पत्र प्रस्तुत किया।

6ठवें संयुक्त सिविल न्यायाधीश, जे.डी. एवं जे.एम.एफ.सी., उल्हासनगर, ठाणे ने आरोपित संजय गोपाल जाधव को 05.04.2022 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत दोषी सिद्ध किया है तथा उसे तीन वर्षों का कठोर कारावास एवं रु. 50,000/— का अर्थ दण्ड दिया है, इसमें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 463 के अंतर्गत दो वर्षों का कठोर कारावास तथा धारा 471 के अंतर्गत अन्य दो वर्षों का कठोर कारावास दण्ड विधिनियमित है। माननीय न्यायालय ने आरोपित को यह निर्देश भी दिया है कि वह तीन माह के अंदर महाराष्ट्र राज्य को रु. 2,00,000/— की क्षतिपूर्ति का भुगतान करे।

35. समाज में वास्तुविदों की भूमिका पर जागरूकता :

समाज में तथा विद्यार्थियों के मध्य वास्तुविद की भूमिका के बारे में जागरूकता प्रसारित करने के क्रम में, परिषद् ने 20 मिनटों, 10 मिनटों तथा 5 मिनटों की अविध के चलिचत्रों (शॉट फिल्म्स) का निर्माण किया है। चलिचत्रों (फिल्म्स) का निर्माण वास्तुविद शालीन शर्मा की सहायता से किया गया था। परिषद् ने, भवनों के निर्माण में वास्तुविदों की भूमिका पर जागरूकता प्रसारित करने के लिये एफएम रेडियो स्टेशनों की सेवायें भी ली हैं।

- 36. वास्तुकला परिषद् द्वारा वास्तुविदों के लिये मोबाइल एप्लिकेशन (एप) का शुभारंभ :परिषद् ने वास्तुविदों के लिये एक मोबाइल एप्लिकेशन (एप) का शुभारंभ किया है, जिसमें वे परिषद् द्वारा प्रस्तावित नवीनीकरण स्थिति, प्रमाणपत्र की वैधता की जांच कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं तथा अन्य सेवायें / सुविधायें प्राप्त कर सकते हैं।
- 37. वास्तुविदों द्वारा उपलब्ध कराई गईं सेवाओं पर जीएसटी का संग्रहण :

वास्तुविदों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त करने के पश्चात् परिषद् ने माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार से निवेदन किया कि वास्तुकला सेवाओं पर जीएसटी के संग्रहण का उत्तरदायित्व वास्तुविदों के स्थान पर ग्राहक के ऊपर रखा जाना चाहिये। इस संबंध में वित्त मंत्रालय की समुपयुक्त कार्रवाई की प्रतीक्षा की जा रही है।

38. परिषद् द्वारा वास्तुकला अभिकल्पना (डिजाइन) प्रतियोगिताओं का संचालन :

प्रतिवेदनाधीन वर्ष की समयाविध में परिषद् ने अपने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित वास्तुकला अभिकल्पना (डिजाइन) प्रतियोगिताओं का संचालन किया है :

- 1. बेंगलुरू में सीओए के उत्कृष्टता केंद्रीय भवन की बिल्डिंग का निर्माण।
- 2. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से वास्तुकला अभिकल्पना (डिजाइन) प्रतियोगितायें :
 - क. समस्त राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित किये जानेवाले बस शेल्टरों का मानकीकरण।
 - ख. कटरा, जम्मू एवं कश्मीर में इंटरमॉडल स्टेशन का निर्माण।
 - ग. समस्त राष्ट्रीय राजमार्गों की सीमा-दीवाल का सौंदर्यीकरण।
 - घ. धौला क्ंआ से टी1 आईजीआई वायुख्थल (एयरपोर्ट) के मध्य अनुसंकेतक संरचना का उत्थापन।
- 3. आवासन एवं नगर कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से स्वच्छ भारत मिशन 2.0 नगरी के अंश के रूप में शौचालयों की अभिकल्पना (डिजाइन) हेतु वास्तुकला अभिकल्पना प्रतियोगिता।

39. वास्तुविद अधिनियम 1972 के अधिनियमन के 50 वर्षों का उत्सव:

वास्तुविद अधिनियम 1972, संपूर्ण भारत में दिनांक 01.09.1972 से प्रभावी होकर लागू हुआ था। अधिनियम की स्वर्ण जयंती आयोजन के अंश के रूप में, परिषद् ने 6 नवंबर 2022 को स्टाइन ऑडिटोरियम, इंडिया हैबिबेट सेंटर, नई दिल्ली में ''प्रत्याशा'' शीर्षक से एक पूर्ण–दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया।

माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने एक पत्र के माध्यम से संदेश प्रेषित किया तथा माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार ने एक चलचित्रगत (वीडियो) संदेश प्रेषित किया तथा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। परिषद् ने इस अवसर पर दो भाषण श्रृंखलायें आरंभ कीं, नामतः — वास्तुविद पीलू मोदी भाषण श्रृंखला (दिवंगत सांसद जिन्होंने अधिनियम के अधिनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई) तथा वास्तुविद जे.आर. भल्ला भाषण श्रृंखला (प्रथम अध्यक्ष, सीओए)।

40. परिषद् द्वारा वास्तुकला विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान करना :

वास्तुकला में अनुसंधान एवं नवप्रवर्तन का संवर्द्धन करने के क्रम में परिषद् प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित श्रेणियों में मेधावी अभ्यर्थियों को पुरस्कार प्रदान कर रही है :

- क) वास्तुकला यूजी थीसिस में उत्कृष्टता के लिये सीओए पुरस्कार : सर्वश्रेष्ठ तीन थीसिस परियोजनाओं के लेखक रु. 75,000. 00/- + प्रत्येक को प्रमाणपत्र। अगले सात थीसिस परियोजनाओं के लेखक रु. 20,000.00/- + प्रत्येक को प्रमाणपत्र।
- ख) जेके अया वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वास्तुकला विद्यार्थी पुरस्कार के लिये चयनित थीसिस परियोजना के लेखक को रु. 25,000 / –, ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र। (जे.के. सीमेंट लिमिटेड द्वारा)
- ग) वास्तुकला में स्नातकोत्तर थीसिस में उत्कृष्टता के लिये सीओए राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 : सर्वश्रेष्ठ तीन थीसिस परियोजनाओं के लेखक रु. 75,000.00 प्रत्येक को। थीसिस परियोजनाओं के तीन उप-विजेता लेखक रु. 20,000.00 प्रत्येक को।
- ग) जेके अया वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वास्तुकला विद्यार्थी पुरस्कार 2022 : सर्वश्रेष्ठ तीन थीसिस परियोजनाओं के लेखक रु. 75,000.00 / + प्रत्येक को प्रमाणपत्र। अगले सात थीसिस परियोजनाओं के लेखक – रु. 20.000.00 / – + प्रत्येक को प्रमाणपत्र।
- घ) वास्तुकला विरासत के प्रलेखीकरण में उत्कृष्टता हेतु सीओए छात्र पुरस्कार : राष्ट्रीय निर्णायक—समिति में विजेताओं की संख्या (3 विजेता) को रु. 75,000/— + प्रत्येक को प्रमाणपत्र एवं राष्ट्रीय निर्णायक—समिति का प्रशस्ति—पत्र (6 विजेता) को रु. 15,000/— + प्रत्येक को प्रमाणपत्र।
- ड.) सीओए अंतर्राष्ट्रीय निबंध लेखन प्रतियोगिता के लिये पुरस्कार : प्रथम— रु. 25,000 /— का नकद पुरस्कार + प्रमाणपत्र + सीओए सोशल पर साक्षात्कार / वीडियो क्लिप। द्वितीय— रु. 15,000 /— का नकद पुरस्कार + प्रमाणपत्र + सीओए सोशल पर साक्षात्कार / वीडियो क्लिप। तृतीय— रु. 10,000 /— का नकद पुरस्कार + प्रमाणपत्र + सीओए सोशल पर साक्षात्कार / वीडियो क्लिप।

41. भोपाल तथा पुणे में सीओए के प्रशिक्षण एवं अनुसंघान केंद्र में संपन्न गतिविधियां :

क. टीआरसी पूणे में संपन्न गतिविधियां :

क्र. सं	कार्यक्रम का शीर्षक/विषय	कार्यक्रम की तिथि
VI.		
1	ईसीबीसी– ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड का परिचय	4 अप्रैल 2022 — 8 अप्रैल 2022
2	भविष्य की वास्तुकला के संरक्षण हेतु उन्नत सेवायें एवं निर्माणन चुनौतियां	19 अप्रैल से 22 अप्रैल 2022
3	ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड का परिचय	9 मई 2022 से 13 मई 2022
4	बाल मनोविज्ञान एवं बाल केंद्रित अभिकल्पना (डिजाइन)	6 जून से 10 जून 2022
5	वास्तुकला शिक्षा में चिरस्थायी अभिकल्पना (डिजाइन) दृष्टिकोण को एकीकृत करना	21 जून 2022 — 24 जून 2022
6	महत्वाकांक्षी_शोध पत्र	28 जून 2022 — 1 जुलाई 2022
7	वास्तुकला में ज्ञान एवं आजीविका : वास्तुकला शिक्षा का भविष्य	5 जुलाई 2022 — 8 जुलाई 2022
8	उपलिब्ध_शोध पत्र	4 जुलाई 2022, 11 जुलाई 2022, 18 जुलाई 2022, 25 जुलाई 2022 एवं 1 अगस्त 2022
9	निर्माणन उद्योग कौशल एवं परंपरा सिद्धांत के मध्य सेतुबंध के रूप में विद्यमान वास्तुकला शिक्षण—प्रशिक्षण	19 जुलाई 2022 से 22 जुलाई 2022
10	ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड का परिचय	25 जुलाई 2022 से 29 जुलाई 2022
11	वास्तुकला में अनुसंधान	2 अगस्त 2022 — 5 अगस्त 2022
12	वास्तुकला अभिकल्पना (डिजाइन) का प्राकृतिक दृष्टिकोण	23 अगस्त 2022 से 26 अगस्त 2022
13	संजीवित भारतीय नगरीय विरासत की व्याख्या करना तथा उसे मुख्यधारा में सम्मिलिति करना	13 सितंबर 2022 से 16 सितंबर 2022
14	प्राचीन ज्ञान से प्रेरित प्रतिमान स्थापित करने हेतु इतिहास की शिक्षा प्राप्त करना	26 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022
15	हरित भवन : परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास	10 अक्टूबर 2022 से 14 अक्टूबर 2022

16	सांस्कृतिक संसाधनों का मानचित्रण : भविष्य को सुदृढ़ करना	10 अक्टूबर 2022 से 14 अक्टूबर 2022
17	स्थल (साइट): यह अभिकल्पा(डिजाइन) के अनुरूप है	7 नवंबर 2022 से 11 नवंबर 2022
18	वास्तुविदों के इतिहास से संबद्ध होने के अभिनव माध्यम	12 नवंबर से 16 नवंबर 2022
19	अभिकल्पना (डिजाइन) स्टूडियो पर पुनर्विचार करना	21 नवंबर 2022 से 25 नवंबर 2022
20	परास्नातक स्तर पर लेख (थीसिस) अनुस्थापन एवं शोध–निबंध के दृष्टिकोण	21 नवंबर 2022 से 25 नवंबर 2022
21	चिरस्थायी पर्यावास : अभिकल्पना (डिजाइन), नियोजन एवं प्रबंधन	28 नवंबर से 2 दिसंबर 2022
22	नेट जीरो की ओर पारगमन — दिशालक्ष्य (रोडमैप)	6 दिसंबर 2022 से 9 दिसंबर 2022
23	वास्तुकला में कला : एक अंतर्विषयी परिप्रेक्ष्य तथा वास्तुकला अभिकल्पना (डिजाइन) में इसका अनुप्रयोग	12 दिसंबर से 16 दिसंबर 2022
24	वास्तुकला के विविध मूल कार्यक्षेत्रों (डोमेन्स) में महत्वाकांक्षी अनुसंधान	12 दिसंबर से 16 दिसंबर 2022
25	वास्तुकला – इतिहास, मानविकी एवं संरक्षण के संबंध में एसडीजी की व्याख्यायें	19 दिसंबर 2022 से 23 दिसंबर 2022
26	वास्तुकला अनुसंधान में आंकड़ा प्रबंधन एवं विश्लेषण हेतु उपकरण व तकनीकें	19 दिसंबर 2022 से 23 दिसंबर 2022
27	नगरीय निष्प्रभावों की पुनर्कल्पना करना	2 जनवरी 2023 से 6 जनवरी 2023
28	वास्तुकला शिक्षा में सह—संबद्घ विषयों की भूमिका पर पुनर्विचार करना	16 जनवरी 2023 से 20 जनवरी 2023
29	एनईपी : वास्तुकला में भविष्य का मार्ग	30 जनवरी से 3 फरवरी 2023
30	वास्तुकला एवं पारिस्थितिकी पर प्राचीन ग्रंथ	6 फरवरी 2023 से 10 फरवरी 2023
31	वास्तुकला विरासत का संरक्षण	13 फरवरी 2023 से 17 फरवरी 2023
32	वास्तुकला शिक्षा एवं अभ्यास की समकालीन चुनौतियों के समाधान के रूप में परिवर्तनकारी शिक्षण—प्रशिक्षण	20 फरवरी 2023 से 24 फरवरी 2023
33	शोध पत्र की परिकल्पना करना एवं उसे पूर्ण करना	13 मार्च 2023 से 17 मार्च 2023

ख. टीआरसी भोपाल में संपन्न गतिविधियां :

1	परिणाम–आधारित शिक्षा पर एफडीपी : वास्तुकला एवं नियोजन	11 से 15 अप्रैल 2022
	में अनुसंधान विधियां तथा तकनीकें	
2	चिरस्थायी विकास लक्ष्य 11 पर एसटीटीपी : भारतीय विरासत	18 से 22 अप्रैल 2022
3	वास्तुकला में शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिये एसडीजी–4 के 10	2 से 6 मई 2022
	लक्ष्यों पर टीटीपी	
4	वास्तुकला एवं जलवायु परिवर्तन पर एफडीपी : एक सामान्य	6 से 10 जून 2022
	लक्ष्य की प्राप्ति के लिये विविध मार्गों का संधान	
5	वास्तुकला एवं नियोजन में जीआईएस व दूर संवेदन (रिमोट	4 से 26 जून 2022 (शनिवार एवं रविवार)
	सेंसिंग) के अनुप्रयोग पर प्रशिक्षण (स्तर 2)	
6	वास्तुकला एवं नियोजन के बहुविषयक पहलुओं पर अंतर्राष्ट्रीय	24 से 26 जून 2022
	सम्मेलन : संबंधों का विस्तार करना	
7	परिणाम–आधारित लगन के माध्यम से वास्तुकला शिक्षा पर	4 से 8 जुलाई 2022
	एफडीपी	_
8	चिरस्थायी पर्यावास अभिकल्पन, नियोजन एवं प्रबंधन हेतु	11 से 15 जुलाई 2022
	समकालीन प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग पर एफडीपी	
9	परिणाम–आधारित शिक्षा पर एफडीपी : अनभ्यस्त (ऑफ–बीट)	1 से 5 अगस्त 2022
	कैरियर विकल्पों की चुनौतियों से निपटने शिक्षण—प्रशिक्षण	
	परिवर्तन सम्मिलित करना	
10	वास्तुकला अभिकल्पना (डिजाइन) में निर्माणन सेवाओं तथा	22 से 26 अगस्त 2022
	उनके क्रियान्वयन पर एफडीपी	
11	भारत में समकालीन परिसर नियोजन एवं अभिकल्पन (डिजाइन)	29 अगस्त से 2 सितंबर 2022

	पर एफडीपी	
12	वास्तुकला एवं नियोजन में गुणात्मक अनुसंधान के लिये	1 अगस्त 2022 – 5 अगस्त 2022
	मात्रापरक विधियों पर एफडीपी	
13	निर्माणन सेवाओं पर एफडीपी	22 अगस्त 2022– 26 अगस्त 2022
14	भारतीय नगरों में स्थानीय वास्तुकला एवं पारंपरिक निर्माणन	19 सितंबर से 23 सितंबर 2022
	अभ्यासों पर एफडीपी	
15	विद्यमान पर्यावरण में गुणात्मक अनुसंधान की मात्रापरक विधियों	17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2022
	पर एफडीपी	
16	वास्तुकला अनुसंधान, कौशल सृजन दृष्टिकोण में उभरते	7 नवंबर—11 नवंबर 2022
	प्रतिमानों पर एफडीपी	
17	वास्तुकला एवं नियोजन में बाधा–मुक्त अभिकल्पना (डिजाइन)	14 नवंबर—18 नवंबर 2022
	एवं सार्वभौमिक अभिकल्पन सिद्धांतों पर एफडीपी	_
18	वास्तुकला में प्रभावी शिक्षण पद्धति पर एफडीपी	28 नवंबर 2022 — 2 दिसंबर 2022
19	जीआईएस एवं दूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) के अनुप्रयोगों पर	3 दिसंबर — 25 दिसंबर 2022
	राष्ट्रीय स्तर का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	
20	वास्तुकला एवं नियोजन में अनुसंधान पत्र एवं पुस्तक अध्याय	5 से 9 दिसंबर 2022
	लेखन पर एफडीपी	
21	चिरस्थायी एवं विद्यमान हरित पर्यावरण पर एफडीपी	12 से 16 दिसंबर 2022
22	निर्माण अनुकूल नगरीय समुदायों पर एफडीपी	26 दिसंबर — 30 दिसंबर 2022
23	भारत के रहने योग्य नगरों पर एसटीटीपी	2 जनवरी से 6 जनवरी 2023
24	निर्माणन सेवाओं एवं प्रणाली की अभिकल्पना (डिजाइन) पर	09 जनवरी से 13 जनवरी 2023
	एसटीटीपी	
25	बिल्डिंग उपनियमों एवं नियोजनगत विनियमावली के पुनर्विचार	23 जनवरी से 27 जनवरी 2023
	पर एफडीपी	
26	नगरीय आपदाओं के प्रशमन एवं प्रबंधन पर एफडीपी	6 से 10 फरवरी 2023
27	चिरस्थायी तटवर्ती क्षेत्र के अभिकल्पन (डिजाइनिंग), नियोजन,	13 से 17 फरवरी 2023
20	संरक्षण एवं प्रबंधन पर एफडीपी	
28	यूएवी ड्रोन डेटा से नगरीय विशेषताओं के प्रचलित स्रोत	20 से 24 फरवरी 2023
20	रूपरेखा निरूपण पर ऑनलाइन कार्यशाला	1
29	सप्ताहांत की समयाविध में बीआईएम पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	4 मार्च से 26 मार्च 2023
20	1	
30	वास्तुकला एवं नियोजन की भारतीय ज्ञान प्रणालियों के मंथन	20 मार्च से 24 मार्च 2023
21	पर एफडीपी	
31	वास्तुकला में अनुसंधान लेखन एवं प्रकाशन पर एफडीपी	27 से 31 मार्च 2023

42. वास्तकला संस्थानों में रैगिंग रोधन उपाय :

परिषद् ने रैंगिग रोकने पर विरचित यूजीसी विनियमों को अपनाया है तथा सभी वास्तुकला संस्थानों को कठोरतापूर्वक इन विनियमों का पालनानुपालन करने के लिये कहा गया है। प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान परिषद् के सम्मुख किसी भी वास्तुकला संस्थान का कोई भी रैंगिक प्रकरण नहीं आया। श्री दीपक कुमार प्रशासनिक अधिकारी परिषद के रैंगिंग रोधन के नोडल अधिकारी हैं।

43. कार्यस्थल पर स्त्री के यौन उत्पीड़न (प्रतिबंधन, निषेधन एवं निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों का क्रियान्वयन :भारतीय संसद ने स्त्रियों हेतु एक सुरक्षित एवं अनुकूल कार्य—वातावरण बनाने तथा उन्हें यौन उत्पीड़न की घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यस्थल पर स्त्री के यौन उत्पीड़न (प्रतिबंधन, निषेधन एवं निवारण) अधिनियम 2013 अधिनियमित किया है।

परिषद् ने समस्त संस्थानों को इस अधिनियम के प्रावधानों का कठोरतापूर्वक अनुपालन करने का निर्देश दिया है। अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध स्त्रियों के अधिकारों एवं उपचारों पर स्त्री वास्तुविदों, विद्यार्थियों एवं संकाय—सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये ऑनलाइन कार्यशालायें आयोजित की गई थीं। परिषद ने इस प्रकार के प्रकरणों हेत् एक पृथक हेल्पलाइन भी स्थापित की है।

44. वास्तुविदों से परिषद् द्वारा लिये जा रहे शुल्क की वृद्धि हेतु सीओए नियमावली 1973 में संशोधन :

परिषद् ने 24 एवं 25 जनवरी 2020 को आयोजित अपनी 72वीं बैठक में, शुल्कों की पुनरीक्षा हेतु एक प्रस्ताव पारित किया तथा वास्तुविदों से लिये जा रहे शुल्कों में वृद्धि करने हेतु वास्तुकला परिषद् नियमावली 1973 में उपयुक्त संशोधन करने के लिये, इसे 18 नवंबर 2020 को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इस संबंध में मंत्रालय ने किन्हीं स्पष्टीकरणों की मांग रखी थी तथा परिषद् ने उन्हें पूरा कर दिया था। इस संदर्भ में मंत्रालय के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

45. परिषद् द्वारा व्यक्तियों के आधार आधारित सत्यापन का प्रारंभ :

परिषद् ने निम्नलिखित सेवाओं के सुशासन हेतु अपनी अभिनव कार्यप्रणालियों के भाग के रूप में आधार आधारित सत्यापन प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।

- 1. वास्तुविद अधिनियम 1972 के अंतर्गत वास्तुविदों का पंजीकरण : भारत की संसद द्वारा अधिनियमित वास्तुविद अधिनियम 1972 के अंतर्गत एक वास्तुविद के व्यवसाय का अभ्यास करने तथा एक वास्तुविद के नाम एवं शैली का उपयोग करने के लिये किसी भी व्यक्ति को एक वास्तुविद के रूप में पंजीकरण कराना एक सांविधिक आवश्यकता है। व्यक्तियों के आधार सत्यापन द्वारा उनके आधारगत आंकड़े जैसे कि नाम, पिता/माता/पित/अभिभावक का नाम, जन्म तिथि, इत्यादि का, सीओए डेटाबेस में प्रयोगार्थ, उपयोग करने में सहायता प्राप्त होगी
- 2. वास्तुकला संस्थानों में प्रवेश ग्रहण कर चुके विद्यार्थियों को नामांकन संख्या का निर्गतन : आधार आधारित सत्यापन द्वारा विद्यार्थियों के प्रत्यय—पत्रों (क्रेडेंशियल्स) को सत्यापित करने तथा नामांकन संख्याओं के तीव्र वितरण में सहायता प्राप्त होगी।
- सुशासन एवं डिजिटल मंच क्रियान्वित करना, अर्थात् परिषद् द्वारा डिजी लॉकर एवं अन्य मंचों पर पंजीकरण प्रमाणपत्रों, नामांकन संख्याओं, प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों का निर्गतन।
- 4. एनएटीए : परिषद् द्वारा बी.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थ वास्तुकला (एनएटीए) में राष्ट्रीय अभिक्षमता परीक्षा संचालित की जाती है। एनएटीए हेतु पंजीकरण करनेवाले विद्यार्थियों के आधार सत्यापन द्वारा वास्तविक विद्यार्थियों को सत्यापित करने तथा डिजी लॉकर, इत्यादि पर उनके परिणाम प्रदर्शित करने में सहायता प्राप्त होगी।
- 5. निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति का अनुदान : परिषद् निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति का अनुदान रे रही है। आधार सत्यापन जो है वह इस संदर्भ में संबंधित लाभार्थियों की पहचान करने तथा सार्वजनिक निधि का समुचित उपयोगीकरण सुनिश्चित करने में सहायक होगा।
- 6. प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार राशि जारी करना : परिषद्, विद्यार्थियों को अनेक पुरस्कार प्रदान कर रही है तथा संकाय सदस्य का आधार सत्यापन जो है वह पुरस्कारों की राशि, इत्यादि के लक्षित एवं तीव्र वितरण में सहायक होगा।
- 7. वास्तुविदों की ऑनलाइन निर्देशिका का निर्गतन : परिषद्, वास्तुविदों की ऑनलाइन निर्देशिका प्रकाशित कर रही है, तथा आधार सत्यापन जो है वह किसी भी व्यक्ति द्वारा वास्तुविदों से संबंधित आंकड़ों के दुरुपयोग को रोकने में सहायक होगा।
- 8. वास्तुकला अभिकल्पना (डिजाइन) प्रतियोगिता : परिषद्, समय–समय पर वास्तुविद के चयनार्थ वास्तुकला अभिकल्पना प्रतियोगिता के संचालन में अनेक शासकीय निकायों की सहायता करती है।

परिषद् ने, उपरोक्तानुसार, आधार सेवाओं के सत्यापनार्थ इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी (एमईआईटीवाई) मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र लिखा है, जो कि सुशासन सुनिश्चित करने के लिये डिजिटल मंचों के उपयोग को सत्यापित करने हेतु सक्षम प्राधिकरण है। प्रत्युत्तर में, अनुरोधकृत सत्यापनकारिता के संबंध में एमईआईटीवाई द्वारा सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को आधार नियमावली के अंतर्गत अधिसूचना निर्गत करने के संबंध में सूचित किया गया है। शिक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का मंत्रालय की ओर से निर्गत होने के संबंध में प्रतीक्षा की जा रही है।

- 46. वास्तुकला परिषद (स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम हेतु वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियमावली 2022 का अनुमोदन : परिषद् ने, 15 जुलाई 2022 को आयोजित अपनी 77वीं बैठक में वास्तुकला परिषद (स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम हेतु वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियमावली 2022 का अनुमोदन किया है। इस विनियमावली को नवंबर 2022 में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष, वास्तुविद अधिनियम 1972 की धारा 45 के निबंधनों के अनुसार, उसके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था। मंत्रालय के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।
- 47. परीक्षा द्वारा आईआईए की सदस्यता की पुनरीक्षा पर उप—समिति के प्रतिवेदन पर विचार करनाः परिषद् ने, आईआईए द्वारा संचालित आईआईए परीक्षा की सह—सदस्यता का मूल्यांकन करने हेतु प्रोफे. कविता डी. राव, संयोजक एवं वास्तुविद शिरीष जी. सुखात्मे तथा वास्तुविद सलिल राणादिवे की सदस्यता में एक समिति का गठन किया है।

कार्यकारिणी समिति ने, समिति की अनुशंसायें क्रियान्वित करने हेतु तैयार कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिये आईआईए को प्रेषित समिति के प्रतिवेदन तथा पत्र दिनांकित 11.06.2022 का अवलोकन किया। आईआईए की कार्य योजना की प्रतीक्षा की जा रही थी।

- 48. जीविका उन्नति योजना (करियर एडवांसमेंट स्कीम) (सीएएस):
 - वास्तुकला परिषद् ने 7 नवंबर 2022 को आयोजित अपनी 78वीं बैठक में "वास्तुकला संस्थानों के संकाय सदस्यों हेतु जीविका उन्नति (आंतरिक पदोन्नति) योजना के लिये दिशानिर्देश" पर विचार किया तथा इसके अनुमोदन का निर्णय लिया। इन दिशानिर्देशों को परिषद् द्वारा वास्तुविद अधिनियम 1972 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत निर्धारित किया गया है तथा सभी विश्वविद्यालयों, संस्थानों एवं सक्षम प्राधिकरणों / प्राधिकारियों द्वारा इनका अनुपालन किया जाना आवश्यक है। इन दिशानिर्देशों की एक प्रति आपके त्वरित संदर्भ हेतु यहां इसके साथ संलग्न है।
 - यह दिशानिर्देश ऐसे प्रतिमानक निर्धारित करते हैं जिससे संकाय सदस्य को संबंधित अगले उच्च-श्रेणी वेतनमान तक उन्नित करने की अनुमित होगी, जो कि संतोषजनक कार्य-निष्पादन के अधीन तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित है। चूंकि शिक्षकगण सदैव स्वयं का अनेक माध्यमों से अद्यतन कर रहे हैं, अतः ऐसे अद्यतनीकरण को एक प्रोत्साहन एवं प्रशंसा के रूप में समुचित विधि से पुरस्कृत करने की आवश्यकता है। इसी भांति, ऐसे ही किसी संस्थान में दीर्घाविध से आजीविका में संलग्न तथा स्वयं का अद्यतन करनेवाले अथवा अनुसंधान व अभ्यास में सम्मिलित शिक्षकों को भी उच्च श्रेणी में पदोन्नित के रूप में प्रोत्साहन की आवश्यकता है। जीविका उन्नित योजना (करियर एडवांसमेंट स्कीम) (सीएएस), संकाय सदस्यों के ऐसे प्रोत्साहन एवं पदोन्नित को सरल-सुगम व सुविधाजन्य बनाती है।
 - देश में बी.आर्क. / एम.आर्क. उपाधि पाठ्यक्रम की शिक्षा प्रदान कर रहे समस्त संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों के साथ-साथ केंद्रीय / राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकरणों / प्राधिकारियों से निवेदन किया गया था कि वे वास्तुकला संस्थानों में आजीविकारत् संकाय सदस्यों के कल्याण हेतु परिषद् द्वारा निर्धारितानुसार जीविका उन्नति योजना (करियर एडवांसमेंट स्कीम) (सीएएस) का क्रियान्वयन करें।
- 49. आईएचसी एवं एनबीसीसी प्लेस, ओखला, नई दिल्ली में स्थित सीओए कार्यालय के आंतरिक कार्य का समापन :परिषद् ने आईएचसी में स्थित अपने कार्यालय के आंतरिक कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर दिया है। इसके अतिरिक्त, एनबीसीसी ओखला में स्थित सीओए कार्यालय स्थल का आंतरिक कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा कार्यालय को सक्रिय कर दिया गया है।

50. आदर्श ग्राम विकास योजना पर संसद एवं विधान सभाओं के सदस्यों के सम्मुख ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रस्तुतिकरणः अध्यक्ष, सीओए ने 22 दिसंबर 2022 को डा. सुश्री सीमा कौल सिंह, निदेशक, लोकतंत्र का संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (पीआरआईडीई), लोक सभा सचिवालय, से "आदर्श ग्राम विकास योजना पर संसद एवं विधान सभाओं के सदस्यों के सम्मुख एक प्रस्तुतिकरण" के संबंध में भेंटवार्ता की। लोक सभा सचिवालय इस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर चुका है तथा वह शीघ्र ही इस कार्य का आयोजन करेगा।

51. प्रकाशन :

परिषद्, ''वास्तुकला समय स्थान एवं जन'' नामक पत्रिका तथा ई-प्रारूप में सीएन्यूलेटर प्रकाशित कर रही है, जिनमें वास्तुकला व संबद्ध विषयों तथ परिषद् व इसकी गतिविधियों के बारे में समाचार एवं जानकारियों से संबंधित अनेक आलेख सिम्मिलित हैं। परिषद् ने वास्तुकला शिक्षा एवं व्यवसाय के संवर्द्धन के दृष्टिगत वास्तुकला संस्थानों में वितरण के लिये मितव्ययी मूल्यों पर निम्नलिखित पुस्तकें क्रय की हैं :

क्र.सं.	पुस्तक का शीर्षक	लेखक / प्रकाशक का नाम
1.	जर्नल ऑफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चरल (जेसीओए) –	काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर
	हेरिटेज एंड कंजर्वेशन	
2.	जस्ट गिव मि सम स्पेस	आर्कि. सुहा रियाज खोपटकर
3.	लेट्स बिल्ड विद बंबू (वाल्यू. 1 एंड वाल्यू. 2)	आर्कि. नीलम मंजूनाथ
4.	आर्काइविंग आर्किटेक्चरल थीसिस — 2020	काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर
5.	लर्निंग बेसिक डिजाइन	प्रोफे. प्रदन्या चौहान
6.	फॉर्म फॉलोज रूट्स आर्किटेक्चर फॉर इंडिया — 1985—2021	आर्कि. सुरिंदर बाहगा
7.	आर्किटेक्चर : कांसेप्चुअल टु द मेनिफेस्ट — (2012)	श्री प्रोफे. कुलभूषण जैन
8.	क्यूबिस्ट मॉडर्निज्म – द मेंकिंग, मीनिंग एंड मैडनेस ऑफ माई	आर्कि. संगीत शर्मा
	आर्किटेक्चर	
9.	कोर्टयार्ड हाउसेज ऑफ इंडिया	यतिन पंड्या
10.	आर्किटेक्चरल इंहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन इन इंडिया	अपूर्व बोस दत्ता
11.	चंडीगढ़	आर्कि. एस एस भाटी
12.	आर्किटेक्चर : थेरी, प्रेक्टिस, रिसर्च एंड पेडगॉजी	आर्कि. एस एस भाटी
13.	शेल्टरिंग एंगल	आर्कि. आशा बस्ते एवं
		स्व. आर्कि. प्रभाकर बस्ते

52. आभार :

परिषद्, वास्तुविद अधिनियम 1972 के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार और इसके अधिकारियों, समस्त राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों, समस्त वास्तुकला संस्थानों को परिषद् को प्रदत्त उनके व्यापक सहयोग के लिए अपनी सराहना एवं आभार प्रकट करती है।

परिषद्, वास्तुविद अधिनियम 1972 के उद्देश्यों का संविस्तार करने के लिए वास्तुकला परिषद् के पदाधिकारियों एवं सदस्यों, विशेषज्ञों, लेखा—परीक्षकों, अभिवक्ताओं, अन्य व्यावसायिक निकायों, अभ्यासरत् वास्तुविदों, शिक्षाविदों तथा समस्त विज्ञापनदाताओं को उनके सहयोग, मार्गदर्शन, सलाह एवं समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करती है।

परिषद्, माननीय लोकसभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला, श्री नितिन गडकरी, माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार, श्री धर्मेंद्र प्रधान, माननीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार तथा श्री पीयूष गोयल, माननीय वाणिज्य मंत्री, भारत सरकार, अध्यक्ष, शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति को समय—समय पर परिषद को दिये गये उनके समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती है। परिषद, माननीय राज्यपाल पंजाब, माननीय मुख्यमंत्री केरल, माननीय मुख्यमंत्री कर्नाटक, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को भी उनके द्वारा मैनुअल ऑफ आर्किटेक्चरल प्रेक्टिस के शुभारंभन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती है।

परिषद्, अपने अधिकारियों व कर्मचारियों और वर्ष 2022–23 की समयावधि में परिषद् को उपयोगी सेवाएं प्रदान करने वाले समस्त व्यक्तियों व निकायों का भी आभार व्यक्त करती है।

दिनांकित : 14.08.2023

आर. के. ओबराय, पंजीयक (रजिस्ट्रार)

[विज्ञापन**-**III/4/असा./540/2023-24]

वी.के. वर्मा एण्ड कं.,सनदी लेखाकार

सी-37, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 23415811, 23416858, 23415778, 23411014

फैक्स : 91—11—23417925

ईमेल : vkverma@vkvermaco.com, pverma@vkvermaco.com

प्रत्युत्तर में कृपया उद्धृत करें

लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

हमने ''वास्तुकला परिषद्'', इंडिया हैबिटेट सेंटर, कोर 6-ए, प्रथम तल, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के, आय व व्यय खाता तथा प्राप्ति व भुगतान खाता, जिसमें परिषद् के खाते सिम्मिलत हैं, के संलिग्नत तुलन-पत्र का लेखापरीक्षण कर लिया है। यह वित्तीय परिणाम, परिषद् के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व, हमारे अपने लेखापरीक्षण के आधार पर इन वित्तीय परिणामों पर एक राय व्यक्त करना है।

हमने जो भी लेखापरीक्षण किया है, वह भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत आज की तिथि तक अधिसूचित सामान्यतयः स्वीकृत अंकेक्षणन एवं लेखांकन मानकों के अनुसार किया है। इन पूर्वोक्त मानकों में इस आवश्यकता पर बल दिया गया है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुये, लेखापरीक्षण की योजना ऐसे बनाएं और इसका इस प्रकार निष्पादन करें तािक इस संबंध में यथोचित आश्वासन प्राप्त हो जाए कि वित्तीय विवरण सामग्रीमूलक अनुचित—विवरणों से विमुक्त हैं। एक लेखापरीक्षण में वित्तीय विवरणों में उल्लिखित धनराशियों एवं प्राकट्यों के बारे में लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादनकारी प्रक्रियाएं सिम्मिलत होती हैं। चयनित प्रक्रिया, लेखापरीक्षक के विवेक पर निर्भर होती है, इसमें धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारणवश वित्तीय परिणामों के सामग्रीमूलक त्रुटिपूर्ण—विवरण के जोखिम का मूल्यांकन सिम्मिलत होता है। इन पूर्वोक्त जोखिम मूल्यांकनों को करते हुए लेखापरीक्षक उन आंतरिक नियंत्रणों का विचार तो करता है, जो परिस्थितियों में समुचित प्रतीत होती लेखापरीक्षण प्रक्रियाएं बनाने के क्रम में वित्तीय परिणामों की तैयारी एवं उचित प्रस्तुतिकरण के लिए दिए गए होते हैं, परंतु इन्हें आंतरिक नियंत्रणों की कार्यसाधकता पर कोई राय प्रकट करने के उद्देश्य से नहीं दिया जाता। एक लेखापरीक्षण में उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन प्राक्कलनों की विश्वसनीयता के मूल्यांकन के साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी सिम्मिलत होता है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त किया है वह हमारी लेखापरीक्षण राय हेतु एक आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त एवं समुचित है, तथा <u>अनुसची सं. 14 की टिप्पणी सं. 1 से 16</u> के अधीन है— खातों के भाग के रूप में विद्यमान महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं टिप्पणियां।

हम, अब यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं कि :

- हमने वह समस्त जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षण उद्देश्य हेतु अनिवार्य थीं / थे:
- 2. हमारी राय में, वास्तुविद अधिनियम 1972 द्वारा अपेक्षितानुसार खातों की समुचित बहियां, परिषद् द्वारा अब तक संभाल कर रखी गई हैं, यह बिंदु तब ध्यान में आया जब हमारे द्वारा ऐसी बहियों की जांच-पड़ताल की गई;
- 3. प्रतिवेदन से संबद्ध तुलन—पत्र, आय व व्यय खाता तथा प्राप्तियां व भुगतान खाता जो हैं वे खाता बहियों के साथ निर्धारित अनुबंध के अधीन हैं; और
- 4. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, संलग्न अनुसूचियों के साथ तथा खातों के भाग के रूप में विद्यमान लेखांकन नीतियों व टिप्पणियों के साथ पठित खातों के उक्त विवरण, एक सत्य एवं स्पष्ट अवलोकन प्रस्तुत करते हैं:-
 - क) दिनांक 31 मार्च 2023 के अनुसार परिषद् के कार्यों के विवरण के तुलन-पत्र के विषय में, तथा
 - ख) दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेत् व्यय की तूलना में आय के आधिक्य के आय व व्यय खाता के विषय में।
 - ग) दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेत् प्राप्तियों व भुगतानों के प्रवाहों के प्राप्ति व भुगतान खाता के विषय में

कृते वी के वर्मा एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफआरएन 0000386एन हस्ता./—साझीदार (आर.सी. हसीजा) सदस्यता संख्या 054809

दिनांक : 16-08-2023 स्थान : नई दिल्ली

यूडीआईएन : 23054809बीजीवाईडीएक्सजी7798

वास्तुकला परिषद् : नई दिल्ली (अलाभकारी संगठन – एक शासकीय प्राधिकरण के रूप में गठित)

31 मार्च 2023 के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि - रु.)

	अनुसूची	वर्त वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
राशि / पूंजी निधि एवं देनदारियां			
भारत सरकार का पूंजी योगदान	1	150000.00	150000.00
सुनिश्चित निधियां	2	1336399626.00	1166968063.00
देनदारियां	3	274840148.00	269378060.00
अधिशेष / घाटा खाता	7	450394589.97	423246920.59
कुल		2061784363.97	1859743043.59
<u>परिसंपत्तियां</u>			
स्थायी परिसंपत्तियां	4	240175456.78	234307593.00
निवेश	5	1689753968.00	1524700291.00
वर्त परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	6	131854939.19	100735159.59
कुल		2061784363.97	1859743043.59
खातों के अनुसार लेखांकन नीतियां एवं टिप्पणियां	14		

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु आय व व्यय

(राशि - रु.)

			\ /
	अनुसूची	वर्त वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
आय			
शुल्क	8	50638887.00	49129769.00
अन्य आय	9	108647510.51	128268389.56
अर्जित ब्याज	10	88568138.84	79650360.64
कुल (क)		24,78,54,536.35	25,70,48,519.20
व्यय			
प्रतिष्ठान व्यय	11	24029122.00	20969749.00
प्रशासनिक व्यय	12	14728926.61	24134776.30
शिक्षा एवं अभ्यास के संवर्द्धन से संबंधित व्यय	13	25751926.00	7246241.00
हास	4	2196892.36	1104653.49
कुल (ख)		66706866.97	53455419.79
व्यय की तुलना में आय के आधिक्य के रूप में शेष (क—ख)		181147669.38	203593099.41
अधिशेष एवं घाटा खाता में अंतरित		181147669.38	203593099.41
खातों के अनुसार लेखांकन नीतियां एवं टिप्पणियां	14		

वास्तुकला परिषद्

के लिए एवं उसकी ओर से

सम तिथि के हमारे पृथक प्रतिवेदन के अनुसार कृते वी.के. वर्मा एण्ड कं. सनदी लेखाकार

एफआरएन : 000386एन

हस्ता./- हस्ता./-(रजिस्ट्रार) (अध्यक्ष) हस्ता./-(सीए आर.सी. हसीजा)

सदस्यता संख्या ०५४८०९

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 16-08-2023

वास्तुकला परिषद् : नई दिल्ली

(वास्तुविद अधिनियम 1972 के अंतर्गत स्थापित, भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित)

(अलाभकारी संगठन – एक शासकीय प्राधिकरण के रूप में गठित)

31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु प्राप्ति एवं भुगतान खाता (राशि – रु.)

प्राप्तियां	वर्त वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	भुगतान	वर्त वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
।. प्रारंभिक शेष			। व्यय		
क) रोकड़ शेष	55,400.00	50,930.00	क) प्रतिष्टान व्यय (अनुसूची 11 के	2,40,29,122.00	2,09,69,749.00
ख) ऑनलाइन पीजी प्राप्तियां	4,13,206.50	9,48,377.00	अनुरूप)	1,47,28,926.61	2,41,34,776.30
ग) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 12 के	20,43,517.00	38,127.00
1) चालू / ओडी खातों में	7,52,622.77	17,15,424.77	अनुरूप)	19,90,250.00	25,73,300.00
2) बचत खाता	1,89,50,954.	13,5,19,029.65	ग) कार्यशालायें संचालन के शुल्क	25,03,114.00	0.00
3) रोकड़ ड्राफ्ट्स	40	7,09,109.00	घ) थीसिस/विरासत पुरस्कार		
⊓ प्राप्त निधियां	12,040.00		कार्यक्रम व्यय	4,75,000.00	0.00
क) मूल्यांकन शुल्क		6,90,20,000.00	ड.) उत्कृष्टता केंद्र– डिजाइन		
ख) निर्णय पुनरीक्षण का शुल्क	5,98,00,000.	10,00,000.00	प्रतियोगिता एवं शिलान्यास व्यय	17,07,500.00	0.00
ग) इन्ट्यूशन्स का अर्थदंड / दंड	00	14,95,000.00	च) नगरीय स्टूडियो अनुसंधान		
घ) संस्थान का नाम/स्थल परिवर्तन/समापन	1,50,000.00	31,00,000.00	परियोजना हेतु मूलधन/अनुदान		
का शुल्क	4,55.000.00	10,000.00	छ) वास्तुकला जागरूकता पर फिल्म		
ड.) विवाचन शुल्क / प्रशासनिक प्रभार	51,00,000.00		के व्यय	2,32,71,657.00	3,22,22,369.00
।।। प्राप्त ब्याज	32,000.00	7,62,51,794.64		2,27,12,185.86	2,27,38,645.00
क) बैंक जमाओं पर		8,43,984.00	🗆 विभिन्न परियोजनाओं हेतु	0.00	81,080.00
ख) ऋण, अग्रिम, इत्यादि	8,53,71,606.	25,54,582.00	उपलब्ध निधियों के समक्ष	0.00	13,40,689.00
ग) बचत बैंक खाता पर	84		किए गए भुगतान क) नाटा व्यय	1,19,21,464.00	13,34,538.00
IV. शुल्क आय	8,20,362.00	86,53,800.00	ख) मूल्यांकन एवं निरीक्षण व्यय	2,42,000.00	1,98,000.00
क) पंजीकरण शुल्क	23,76,170.00	1,06,84,500.00	ग) विवाचन व्यय	51,11,081.00	45,53,734.00
ख) नवीनीकरण शुल्क		54,60,700.00	घ) वास्तुविद व्ययों की निर्देशिका		
ग) पुनःस्थापन शुल्क	80,50,200.00	2,45,400.00	ड.) प्रकाशन व्यय		
घ) अनुलिपि प्रमाणपत्र शुल्क	1,07,19,100.	1,36,23,170.00	च) बीईई कार्यक्रम व्यय	87,05,123.00	78,25,839.00
ड.) वास्तुविदों से लिया गया अर्थदंड	00	1,04,61,999.00	छ) गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम संचालन	19,46,600.00	7,68,000.00
च) एकमुश्त नवीनीकरण शुल्क का नियोजन	62,53,000.00	200.00	व्यय	32,39,959.00	14,03,458.00
छ) अतिरिक्त योग्यता शुल्क	1,86,000.00		~44	1,11,25,937.00	1,04,61,999.00
V. अन्य आय	1,43,04,650.	32,64,620.00	 किए गए निवेश तथा की	0.00	5,85,65,000.00
क) प्रकाशनों से आय	00	280.00	गई जमाएं	5,67,00,000.00	6,28,50,000.00
, ख) आरटीआई शुल्क	1,11,25,937.	10,07,24,000.00	क) बैंक / कंपनियों द्वारा कटा गया	1,64,00,623.00	63,21,478.00
ग) नाटा शुल्क	00	1,35,000.00	टीडीएस	1,05,62,724.00	74,74,729.53
घ) निविदा शुल्क	0.00	26,341.56	ख) कर्मचारियों को अग्रिम	8,30,362.00	8,43,984.00
ड.) विविध आय		47,70,700.00	ग) अन्य अग्रिम	22,50,980.00	4,84,573.00
च) गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम प्रभार का प्रबंधन	45,22,373.00	10,00,000.00	घ) एकल नवीनीकरण शुल्क का	0.00	0.00
छ) शोध निबंध (थीसिस) पुरस्कार कार्यक्रम–	440.00		विभाजन	0.00	25,00,000.00
प्रायोजकता	7,93,44,400.	3,19,73,000.00	ड.) नाटा शुल्क अग्रिम		
VI. अन्य प्राप्तियां	00	16,68,38,707.00	च) मूल्यांकन शुल्क अग्रिम		
क) एकमुश्त नवीनीकरण शुल्क	0.00	31,16,859.00	छ) प्राप्य / भुगतानयोग्य राशि	81,02,904.00	2,10,51,374.00
ख) वर्ष के दौरान परिपक्व एफडीआर	840.37	7,70,775.00	ज) वर्ष हेतु प्रोद्भूतकृत बैंक ब्याज		
ग) कर्मचारियों से वसूला गया अग्रिम	42,04,300.00	34,39,184.37	झ) कर्मचारियों के अग्रिम पर	59,00,25,457.00	46,44,47,963.00
घ) अन्य वसूले गए अग्रिम	10,00,000.00	3,43,12,741.51	प्रोद्भूत ब्याज	75,00,000.00	0.00
ड.) प्रोद्भूतकृत ब्याज के समक्ष समायोजित		0.00	ञ) नाटा परीक्षा हेतु पूर्व भुग्तेय व्यय		
ब्याज	2,65,57,500.	5,67,00,000.00	ट) विद्यमान वास्तुकला संस्थानों की		
च) भुगतानयोग्य कर/राशि/पोस्टेज	00	7,29,420.00	प्रतिभूति जमायें	17,330.00	55,400.00
छ) नाटा शुल्क अग्रिम	43,24,71,780.	2,50,00,000.00	ठ) नवीन वास्तुकला संस्थानों की		
ज) मूल्यांकन शुल्क अग्रिम	00	18,000.00	प्रतिभूति जमायें	2,48,905.77	7,52,622.77
ויאווא ידיא וידודיא עי			अतिरूति जनाय		

झ) निष्पादन प्रतिभूति	24,80,907.00		IV स्थायी परिसंपत्तियों एवं	2,89,94,880.03	1,89,50,954.40
ञ) नवीन वास्तुकला संस्थानों की प्रतिभूति	18,98,848.00		प्रगति अधीन पूंजी पर	6,34,010.00	12,040.00
जमाएं	38,52,677.53		व्यय	1,70,882.00	4,13,206.50
ट) बीईई प्रायोजकता / प्रशासनिक प्रभार	13,68,028.86		क) स्थायी परिसंपत्तियों का क्रय		
	1,48,30,150.		V . किये गये निवेश तथा की		
	00		गयीं जमायें		
	5,32,10,000.		क) निश्चित / धर्मार्थ—दान निधियों में		
	00		से		
	0.00		ख) वास्तुकला संस्थान से प्राप्त		
	75,00,000.00		प्रतिभृति जमा में से		
	22,000.00		C.		
			VI. समापन शेष		
			क) रोकड़ शेष		
			ख) बैंक शेष		
			1) चालू/ओडी खातों में		
			2) बचत खाता		
			3) रोकड़ ड्राफ्ट्स		
			4) ऑनलाइन पीजी प्राप्तियां		
कुल	85,81,92,494.27	77,53,67,628.50	कुल	85,81,92,494.27	77,53,67,628.50

वास्तुकला परिषद्

के लिए एवं उसकी ओर से

सम तिथि के हमारे पृथक प्रतिवेदन के अनुसार

कृते वी.के. वर्मा एण्ड कं. सनदी लेखाकार

एफआरएन : 000386एन

हस्ता./- हस्ता./-(रजिस्ट्रार) (अध्यक्ष) हस्ता./-

(सीए आर.सी. हसीजा)

सदस्यता संख्या ०५४८०९

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 16–08–2023

COUNCIL OF ARCHITECTURE

(A statutory authority of Government of India)

(ANNUAL REPORT 2022-2023)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th, August, 2023

F. No.CA/55/2023/Annual Report.—The Council of Architecture set up under the Architects Act, 1972, deems it a pleasure to present the Annual Report and Audited Statement of Accounts for the financial year ending on 31st March, 2023.

The Council of Architecture (COA) is regulatory authority for architectural institutions and professionals in the country and maintains a Register of Architects on national basis. The Ministry of Education, Department of Higher Education, Government of India is the nodal Ministry of the Council.

The COA, besides maintaining Register of Architects, oversees the maintenance of standards, periodically of recognized qualifications under the Act by way of conducting inspection through Committees of Experts. Based on the reports submitted by Experts, the COA can make representation to appropriate Governments with regard to inadequacy of standards maintained by the institutions.

Ar. Habeeb Khan was the President and Ar. Sapna, was Vice-President of the Council. Shri R. K. Oberoi is the Registrar and Shri Deepak Kumar is Administrative Officer of the Council. In order to carry out the objectives of the Act and Regulations framed thereunder, the Council has constituted the following Statutory Committees:

- (i) The Executive Committee is constituted under Section 10 of the Act and it functions as an Executive Authority of the Council.
- (ii) Disciplinary Committee is constituted by the Central Government as per Council of Architecture Rules framed by the Central Government. This committee investigates the complaints and holds enquiries relating to professional misconduct of architects and makes its recommendations to the Council for taking decision on the guilt of the Architects.
- (iii) Advisory Committee (Appeals) hears the appeals of the applicants whose applications for registration are rejected.
- (iv) Sub-Committee on Foreign Qualifications examines the references received from Central Government for recognition of Foreign qualifications.
- (v) Scrutiny Committee scrutinizes the proposals/ applications received from existing institutions for extension of approval/ additional intake/ new institutions for introduction B.Arch. Course.

The details of the various activities undertaken by the Council from 01.04.2022 to 31.03.2023 are enumerated below:

1. MEETINGS:

Council Meetings:

During the year under report the Council had three meetings i.e. 77th Meeting 15th July, 2022, 78th Meeting 7th November, 2022 and 79th Meeting 12th March, 2023.

Executive Committee Meetings:

During the year under report the Executive Committee had its 12 meetings as under:

Sl.No.	Meeting No.	Held on	Mode
1.	237 th Meeting	22 nd June, 2022	Online
2.	238 th Meeting	15 th July, 2022	Offline
3.	239 th Meeting	16 th July, 2022	Offline
4.	240 th Meeting	19 th August, 2022	Online
5.	241 st Meeting	30 th August, 2022, 05 th September, 2022, 15 th September,	Online
		2022, 30 th September, 2022	
6.	242 nd Meeting	16 th October, 2022	Online
7.	243 rd Meeting	29 th October, 2022	Online
8.	244 th Meeting	5 th November, 2022	Hybrid
9.	245 th Meeting	16 th November, 2022	Online
10.	246 th Meeting	23 rd December, 2022	Online
11.	247 th Meeting	15 th February, 2023	Online
12.	248 th Meeting	5 th March, 2023, 6 th March, 2023	Online

2. REGISTRATION OF ARCHITECTS:

The Council registers a person, as an Architect under Section 25 of the Act, who resides or carries on the profession of Architecture in India and holds a recognized architectural qualification. The registration application and fees can be submitted in online as well as in offline mode.

During the period under report, Council has granted registration to 13813 qualified persons as Architects. With this as on 31st March, 2023, a total of **156104** Architects have been registered as architects. The state wise details of **122623** architects who hold valid registration as on 31.03.2023, is as under:

Sl. No.	Name of States/UTs	Architects Registered during period 01.04.2022 to 31.03.2023	Total Architects Registered as on 31.03.2023	Active Architects with valid renewal as on 31.03.2023
1.	Andaman and Nicobar	4	57	45
2.	Andhra Pradesh	288	2503	1849

3.	Arunachal Pradesh	7	95	77
4.	Assam	104	1036	881
5.	Bihar	136	1263	1071
6.	Chandigarh	40	1109	861
7.	Chhattisgarh	125	1408	1087
8.	Dadar and Nagar Haveli	7	38	30
9.	Daman and Diu	5	52	44
10.	Delhi	620	13385	10216
11.	Goa	84	1036	893
12.	Gujarat	782	9902	7406
13.	Haryana	393	5823	4813
14.	Himachal Pradesh	65	769	630
15.	Jammu and Kashmir	30	492	401
16.	Jharkhand	62	788	630
17.	Karnataka	1144	11512	9066
18.	Kerala	1560	9402	7651
19.	Ladakh	4	11	11
20.	Lakshadweep	1	5	5
21.	Madhya Pradesh	328	4375	3252
22.	Maharashtra	3327	42043	33419
23.	Manipur	15	172	140
24.	Meghalaya	25	191	165
25.	Mizoram	17	138	125
26.	Nagaland	20	105	87
27.	Odisha	153	1624	1320
28.	Puducherry	34	342	261
29.	Punjab	259	3022	2413
30.	Rajasthan	356	3373	2688
31.	Sikkim	13	116	94
32.	Tamil Nadu	2275	18758	14059
33.	Telangana	475	5736	4319
34.	Tripura	3	63	50
35.	Uttarakhand	85	1245	1011
36.	Uttar Pradesh	762	10807	8887
37.	West Bengal	205	03305	2664
38.	C/o 56 APO	0	2	1
39.	C/o 99 APO	0	1	1
	Total	13813	156104	122623

3. RENEWAL OF REGISTRATION OF ARCHITECTS:

During the period under report the Council has renewed registration of 15741 architects on annual basis and 4425 architects have opted for one-time renewal. 6253 architects have restored their names to the register of architects upon payment of requisite fees.

4. ISSUANCE OF NEW CERTIFICATE OF REGISTRATION AND IDENTITY CARDS TO ARCHITECTS HAVING VALID REGISTRATION: During the year under report the Council has issued new Certificates of Registration and Identity cards free of cost, on surrender of existing Certificates to:-

- 1. 5181 existing Registered Architects
- 2. 16258 New Registered Architects (01.01.2022 to 31.03.2023)

5. BUDGET ESTIMATES FOR THE FINANCIAL YEAR 2022-2023:

The Executive Committee of Council in its 236th Meeting held on 25th February, 2022 approved the Budget Estimates for the Financial Year 2022-2023 with Recurring Expenditure to the extent of Rs.23,16,25,000/- and Non-recurring Rs.14,43,00,000/- as against the income receivable to the extent of Rs.37,59,41,000/-.

- 6. RECOGNITION OF COUNCIL OF ARCHITECTURE EMPLOYEES CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND TRUST BY INCOME TAX DEPARTMENT, GOVT. OF INDIA: The Council has submitted necessary application/ documents to Income Tax Department for recognition of the Council of Architecture Employees Contributory Provident Fund Trust by the Income Tax Department, govt. of India. The approval of the Department is awaited.
- 7. IMPOSITION OF SERVICE TAX/GST ON THE STATUTORY FEES AND CHARGES COLLECTED BY THE COUNCIL OF ARCHITECTURE: The Principal Commissioner of Service Tax, Delhi-II has served Show Cause Notice (SCN) to the Council demanding a sum of Rs.1,73,60,950/- as Service Tax, Education Cess & HSEC and on various services received/rendered, besides interest and penalty u/s 75,76,77 & 78 of The Finance Act, 1994. The Council has contested the claim of Service Tax Department vide Council's Appeal No. ST/53090 of 2016-DB dated 15.12.2016 and deposited a sum of Rs.17,36,095/-.

Further, the Commissioner of Central Tax, GST Delhi East, New Delhi has raised a demand of Rs.2,53,84,776/- vide Order no. 85-86/Commr/ Delhi-Eat/A.P/2021-22 dated 28.07.2022 for period from 01.04.2015 to 30.06.2017 /- as Service Tax, Education Cess & HSEC and on various services received/rendered, besides interest and penalty u/s 75,76,77 & 78 of The Finance Act, 1994.

The Council has also contested the claim of Service Tax Department vide Council's Appeal No. ST/5194/2022-CU [DB] dated 01.08.2022 and deposited a sum of Rs.19,03,860 during F.Y. 2022-23 towards the Pre-Deposit (Advance) of Service Tax Demand i.e. 7.5% of total demand raised and mandatory Pre-Deposit u/s 83 of Finance Act,1994. Outcome of these Appeals are still pending before Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal, Principal Bench, New Delhi.

The Council also received notices from the Superintendent/Appraiser/Senior Intelligence officer, DGGI Regional Unit, Ghaziabad, UP for payment of Goods and Service Tax for period from 01.07.2017 to 31.03.2022 seeking all the details of income/fee received during the period. The Council provided all the details sought by GST Department.

8. AMENDMENTS IN THE COUNCIL OF ARCHITECTURE EMPLOYEES' RECRUITMENT AND PROMOTION REGULATIONS, 1999: The Council has submitted a proposal to the Ministry of Education, Govt. of India, for amending the Council of Architecture Employees Recruitment and Promotion Regulations, 1999, for creation of additional posts in the Council to meet the increased workload. The approval of the Ministry is awaited.

9. ELECTION OF 5 MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE COUNCIL:

The Ministry of Education, Govt. of India appointed Shri Syed Ekram Rizwi, Joint Secretary, Ministry of Education, Govt. of India, as Returning Officer for conduct of elections. The elections for the 5 members of the Executive Committee were held on 16th July, 2022 and the members of the Council unanimously elected following members as members of the Executive Committee:

- 1. Ar. R. Ramesh Kumar
- 2. Ar. Punit Sethi
- 3. Ar. Nandlal Chandel
- 4. Ar. Lalichan Zacharias
- 5. Ar. P. Vaitianandin
- **10. ELECTION OF FIVE MEMBERS OF THE COUNCIL FROM THE HEADS OF ARCHITECTURAL INSTITUTIONS:** The Returning Officer appointed by the Central government conducted elections of the five members of Council from the Heads of Architectural Institutions on 24th November, 2022. The following members were elected:
 - 1. Prof. Abhay V. Purohit

- 2. Prof. Kiran S. Mahajani
- 3. Prof. Milind Kollegal
- 4. Prof. Radhika Nagpal
- 5. Prof. Senthil Kumar

11. ELECTION OF PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT, COUNCIL OF ARCHITECTURE:

The Ministry of Education, Govt. of India appointed Shri M.L. Soni, Director, Department of Higher Education, Ministry of Education, Govt. of India, as Returning Officer for conduct of elections. The elections would be held on 3rd April, 2023.

12. APPROVAL OF ARCHITECTURAL INSTITUTIONS FOR THE ACADEMIC SESSION 2022-2023:

The Council of Architecture during the academic session 2022-23 accorded extension of approval to 398 institutions which are imparting recognized architectural qualifications in the country.

During the year under the report, 03 new institutions were granted approval to impart Bachelor of Architecture Courses and 10 existing institutions were granted approval for introduction of PG courses. The state wise number of institutions are listed below:

State	No of Schools
Andhra Pradesh	8
Assam	2
Bihar	2
Chhattisgarh	3
Chandigarh	1
Delhi	8
Goa	1
Gujarat	24
Himachal Pradesh	2
Haryana	14
Jharkhand	2
Jammu & Kashmir	4
Karnataka	43
Kerala	34
Maharashtra	87
Meghalaya	1
Madhya Pradesh	16
Mizoram	1
Odisha	7
Punjab	14
Puducherry	1
Rajasthan	14
Tamil Nadu	61
Telangana	14
Uttarakhand	3
Uttar Pradesh	23
West Bengal	8
Total	398

Further, 25 institutions were directed to close down during the academic session 2022-2023 owing to non-filling up of less than 30% seats in B.Arch. course in last three years or non-submission of application for approval to the Council.

13. GRANT OF APPROVAL TO THREE YEAR DIPLOMA COURSE(S) IN ARCHITECTURAL ASSISTANTSHIP: The Hon'ble Supreme Court of India vide judgement dated 08.11.2019 in Prince Shivaji Case, held that AICTE has no role in Architecture Education. Consequently, the AICTE has stopped granting approvals to institutions imparting architectural educations including Diploma institutions imparting Diploma in Architectural Assistantship/Architecture/Interior Design.

During the academic session 2022-2023, the Council has granted approval to 48 new Diploma Institutions and extension of approval to 32 Institutions for imparting Diploma in Architectural Assistantship/Architecture/Interior Design.

14. CONDUCT OF NATIONAL APTITUDE TEST IN ARCHITECTURE FOR ADMISSION TO FIRST YEAR OF FIVE YEAR B.ARCH. DEGREE COURSE FOR THE ACADEMIC SESSION 2022-2023:

The Council is conducting National Aptitude Test in Architecture (NATA) every year as a single window examination for admission to first year of 5-year B.Arch. Couse. The NATA 2022 was conducted Thrice a year.

First Test was conducted on 12.06.2022, Second Test was held on 07.07.2022 and third test was held on 07.08.2022. A total of Total 26009 candidates registered for the test and a Total 22681 candidates appeared in the test. Out of the total appeared candidates, 21540 candidates passed in the Test.

15. COMMUNICATIONS SENT BY COUNCIL TO VARIOUS STATE GOVERNMENTS/ LOCAL AUTHORITIES ON VARIOUS ISSUES :

During the year under report, on receipt of representations from Architects the Council has written to following authorities on issues related to registration of architects to carry on the profession of architecture by local bodies, appointment of non-architects on architectural posts, etc. The details of the same are as under:

S.No	Authority	Subject
1.	Government of West Bengal, Howrah	registration/license on Online Portal
2.	Cooch Behar Municipality, Cooch Behar	registration with Cooch Behar Municipality
3.	General Administration Department, Gujarat	registration with local bodies
4.	CUM Secretary Urban Planning,	not accepting Revised/ New Certificate of
	Chandigarh	Registration issued be CoA
5.	Greater Mohali Area Development	not accepting Revised/ New Certificate of
	Authority, Punjab	Registration issued be CoA
6.	Directorate of Town and Country Planning, Chennai	registration with local bodies
7.	Government of Rajasthan, Jaipur	registration with local bodies
8.	UT of Jammu and Kashmir, Jammu	appointing non-Architect as Architect for avoiding professional services
9.	Cyber Corporation Manipur Limited, West Imphal	recruitment to the post of Assistant Architect on contractual basis
10.	Municipal Corporation of Delhi, Delhi	Minimum qualification for the posts of Architectural Cadre
11.	Bhadohi Industrial Development Authority, Bhadohi	registration with local bodies
12.	Rairangpur Municipality, Odisha	Empanelment for Accreditation to practice the profession of an architect under its jurisdiction
13.	UDUPI Municipal Council, UDUPI	licensing of Architects to practice the profession of an Architect under its Jurisdiction
14.	Hon'ble Chief Minister, Madhya Pradesh	appointment of a non- architect on the post of Chief Architect, PWD
15.	Chief Executive Officer, Secunderabad	restrictions on practice as an architect under the jurisdiction of Secunderabad Cantonment Board

16. COMMUNICATIONS SENT BY COUNCIL TO VARIOUS GOVT. DEPARTMENT/ UNDERTAKINGS ON SELECTION/APPOINTMENT OF ARCHITECTS: The Council wrote to several public authorities to appoint architects as per Council of Architecture Competition Guidelines and on payment of fees as prescribed by the Council.

During the year under report, the Council has requested following organisations to follow the norms of Council for selection/ appointment of Architects:

- 1. Telecommunications Consultants India Ltd., New Delhi
- 2. Directorate of Higher Education, Shimla
- 3. Forest Development, Corporation of Maharashtra, Nagpur
- 4. Reserve Bank of India, Mumbai
- 5. Chennai Metropolitan Development Authority, Chennai
- 6. The LNM Institute of Information Technology, Rajasthan
- 7. Public works department, Puducherry
- 8. The Commission of Sugar, Pune
- 9. Indore Development Authority, Indore
- 10. Himachal Pradesh State Industrial Development, Himachal Pradesh
- 11. Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Ltd., Lucknow
- 12. Department of Expenditure, MOF, New Delhi
- 13. Janardan Bhagat Shikshan Prasarak, Maharashtra
- 14. University of Hyderabad, Hyderabad
- 15. Aurangabad Municipal Corporation, Maharashtra
- 16. Director of Fisheries, Assam
- 17. Municipal Corporation, Pune
- 18. Central Bank of India, Nasik
- 19. Navi Mumbai Municipal Corporation, Maharashtra
- 20. The Institute of Charted Accountants of India, New Delhi
- 21. Employee State Insurance Corporation, New Delhi
- 22. Amrit Bharat Station Scheme, Mumbai

17. MANUAL OF ARCHITECTURAL PRACTICE:

The Council in its 75th Meeting held on 28th and 29th August, 2021, approved the Manual of Architectural Practice prescribed in terms of Section 22 of the Architects Act, 1972 and Architects (Professional Conduct) Regulations, 1989.

The Manual has five Volumes namely, Volume 1 – Guidelines for Architecture Practice, Volume 2 – Guidelines for Engagement of Architects and Code for Architectural Competitions, Volume 3- Guidelines for Architectural Contracts, Volume 4 – Guidelines for Architectural Services and Fees and Volume 5 – Guidelines for Management of Firms. The manual was launched all over India at following places:

Sl. No.	Date	Place
1.	25.06.2022	Mumbai
2.	26.06.2022	Trivandrum
3.	22.07.2022	Indore
4.	05.08.2022	Bengaluru
5.	14.08.2022	Ranchi
6.	20.08.2022	Chennai
7.	27.08.2022	Faridabad
8.	28.08.2022	Chandigarh
9.	04.09.2022	Raipur
10.	10.09.2022	Nagpur
11.	23.09.2022	Kochi
12.	03.10.2022	Imphal
13.	04.11.2022	Lucknow
14.	06.11.2022	Delhi
15.	09.12.2022	Ahmedabad
16.	10.12.2022	Rajkot
17.	16.12.2022	Panaji

18. MANUAL ON ROLE OF ARCHITECTS IN GOVERNMENT SERVICES:

The Council in its 76th Meeting approved the Council's Guidelines/ Manual on Role of Architects in Government Services. The manual prescribes the service conditions of architects and model cadre structure

of Architecture Wings. This has been sent to Chief Secretaries, Secretary, PWDs, etc. of all the states for their adoption/implementation.

19. AMENDMENTS TO THE ARCHITECTS ACT, 1972:

The Council on 8th July, 2021 submitted a proposal for amendment of Section 37 of the Architects Act, 1972, by the Central Government with an objective to prohibit unqualified and untrained persons from practising architecture. The President, COA, has recently met the Hon'ble Education Minister for taking up the proposed amendments further.

Further, the Council in its 79th (Emergent) Meeting also approved proposal for carrying out comprehensive Amendments in the Architects Act, 1972. The amendment would cover the following issues:

- i) Introduction of definition of "Architecture Services" so that these services can be reserved for architects;
- ii) Introduction of Professional Practice Examination to ensure the competencies of architects entering into profession to practice independently:
- iii) Introduction of LL.P. form of organization for providing architectural services by Architects to save architects from personal and professional liability and to have less cumbersome form of organization with a separate legal entity;
- iv) Introduction of two schedules for recognized qualification one for Undergraduate qualifications and another for postgraduate qualifications, so that qualification for registration as an architect and additional qualifications can be differentiated and PG qualifications can be recognised under the Act;
- v) Introduction of word "India" in the name of Council of Architecture so as to provide a national level identity to Council.
- vi) To maintain "electronic" copies of Register of Architects for safe and economic preservation of large-scale data and to ensure smooth access to all concerned.
- vii) Appointment of only an Architect to architectural posts in Government departments to ensure that public buildings are constructed with fullest professional inputs in most aesthetic and functional manner.
- viii) Introduce prohibition on rendering of architectural services by non-architects.
- ix) Introduction of prohibitory clause on further registration of architects by local bodies so that architects are not compelled to seek registration in and every local body to practice the profession.
- x) Enabling provisions for charging fees by Council on complaints filed for professional misconduct against architects.

20. GRANT OF SCHOLARSHIP TO ECONOMICALLY DISTRESSED STUDENTS BY THE COUNCIL:

The Council has earmarked a sum of Rs.20 Crores in the Budget Estimates for the F.Y.: 2022-23. The interest earned on the said deposit shall be utilized to support the scholarship to be sanctioned to the needy and economically distressed students and students who have lost of their earning family member so that their studies do not suffer on account of financial incapacity of the family.

Further a committee of following members have been constituted for the purpose:

- 1. President, CoA
- 2. Vice- President, CoA
- 3. President, IIA
- 4. Director, SPA, New Delhi
- 5. Ar.Bansan Singh Thangkhiew
- 6. Ar.Persi Engineer
- 7. Ar.Jit Kumar Gupta
- 8. Central Govt.Nominee
- 9. Registrar, CoA, Member-Secretary

21. RELAXATION IN ELIGIBILITY CRITERIA FOR ADMISSION TO B.ARCH. COURSE FOR THE ACADEMIC SESSION 2021-2022 DUE TO PANDEMIC OF COVID-19: The Council after considering the pandemic situation in the country and also in lines with the policy decision taken by the Central government, decided to keep only pass in 12th Class with PCM subjects as eligibility for admission to B.Arch. Course for the academic session 2022-2023.

The Council has also recommended to the Central Government to amend the requirement of having PCM subjects in 10+2 level, in view of concerns raised by the Parliamentary Committee about sudden fall in number of students seeking admission to Architecture Course.

22. PRESENTATION BEFORE PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE OF RAJYA SABHA ON EDUCATION AND SPORTS MINISTRY: The President, COA, made a detailed presentation before the Parliamentary Standing Committee of Rajya Sabha on Education and Sports Ministry in March, 2022, on working of the Council and need for amendments in the Architects Act, 1972 and on various other related issues.

23. COMPLAINTS FOR PROFESSIONAL MISCONDUCT:

Sections 22 and 30 of the Architects Act, 1972 mandate the Council to take action against architects for professional misconduct. The Central Government has framed Council of Architecture Rules,1973 inter alia prescribing procedure to deal with such complaints. During the period under report the Council received 18 new complaints against Architects.

In terms of Council of Architecture Rules, 1973, the Disciplinary Committee is constituted by the Central Government, from time to time, by gazette notification to investigate the complaints received against Architects for alleged professional misconduct as referred by the Council. Further, Ar. Ashutosh Kumar Agarwal, Chairman and Ar. M.P. Singh and Ar. Amogh Kumar Gupta were members of the Disciplinary Committee. The Disciplinary Committee met two times i.e. on 06.05.2022 and 01.08.2022 and meetings were conducted in Hybrid Mode. The Committee investigated 04 complaint cases.

In terms of provisions of Section 30 of the Act, the Council in its 78th Meeting held on 07.11.2022, after affording opportunity of hearing passed following orders:

- 1. AR. LATHIKA I. NAIR, THIRUVANANTHAPURAM Reprimanded.
- 2. AR. BELA GODHA, BHOPAL Suspended from practice as an architect for a period of one year (Hon'ble Delhi High Court has stayed the order of Council).
- 3. AR. NABIN PATRA, NEW DELHI Suspended from practice as an Architect for a period of 2 years.
- 4. AR. HARSHIT SADH, VADODARA Reprimanded.

24. COMMITTEE ON RECOGNITION OF FOREIGN QUALIFICATIONS:

In terms of Section 15 of the Architects Act, 1972, the Central Government is empowered to recognize foreign architectural qualifications, upon consultation with the Council of Architecture, for the purposes of the Architects Act, 1972.

The Council has constituted a committee to consider the references received from the Central Government and make its report. During the year under report the Council has received 03 new references for consultation with Council on recognition of Foreign Architectural Qualifications under the Architects Act. Further, the Committee met 03 times and considered the cases received from the Central Government and has submitted its report to Full Council.

25. COMPLAINTS AGAINST QUACKS MISREPRESENTING AS ARCHITECTS:

Sections 36 and 37 of the Architects Act, 1972 impose prohibition on misuse of title and style of architect and if any person misuses the title and style of architect or misrepresents himself as an architect, he shall attract a fine of Rs.500/- for the same.

During the period under report, the Council has received 53 complaints where non-architects violating the provisions of the Architects Act, 1972 and appropriate action has been taken in the matter by the Council.

26. SUPPLY OF INFORMATION UNDER THE RTI ACT:

Shri Deepak Kumar, Administrative Officer, is Public Information Officer in the Council and Shri Raj Kumar Oberoi, Registrar, is the First Appellate Authority in the Council in terms of provisions of the RTI Act, 2005.

During the period under report, the Council provided information in respect of 82 RTI Applications and dealt with 9 First Appeals as per the RTI Act. The Council has made efforts to disclose maximum information in public domain to reduce the number of RTI Applications and subsequent appeals.

27. COURT CASES:

During the period under following new court cases were handled by the Council to uphold the provisions of the Architects Act, 1972 and Regulations framed thereunder:

Sl. No.	Name	Court	Issue involved	Current Status
1	Ar.P. Satheesh Kumar Vs. Union of India, Council of Architecture (COA) & Ors. W.P 13608 of 2022	Madras High Court	Nomination as nominee of State of Tamilnadu	Disposed
2	McGans Ooty School of Architecture (TN16) V/s Council of Architecture W.P No. 24833 of 2022	Madras High Court	College Approval of B. Arch. Course	Pending
3	Ar.P. Satheesh Kumar Vs. Union of India, Council of Architecture (COA) & Ors. W.A. No. 2223 of 2022 in W.P.(C) No. 13608 of 2022	Division Bench, Madras High Court	Appeal against single judge order.	Disposed
4	Late Bahusaheb Hiray Trust's Dr. Baliram Hiray College Vs.Union of India & Ors. W.P. No. 12211 of 2022,	Mumbai High court	Challenging show cause notice issued by Council for reduction of intake in B.Arch. Course.	Disposed
5	Ms. V. Nithila V/s. Council of Architecture W.P. No. 27512 of 2022	Madras High Court	Admission in B.Arch. Course	Disposed
6	Late Bahusaheb Hiray Trust's Dr. Baliram Hiray College Vs. Union of India & Ors. W.P. No. 27060 of 2022,	Mumbai High court	Challenging show cause notice issued by Council for reduction of intake in M.Arch. Course.	Disposed
7	(Civil Appellate Jurisdiction) SLP(Civil) No. 002230 of 2023 Diary No. 1085 Registrar, Council of Architecture V/s Palak Dixit and ORS.	Supreme Court of India	Late Admission in B.Arch. Course	Dismissed
8	Late Bahusaheb Hiray Trust's Dr. Baliram Hiray College Vs. Union of India & Ors. W.P. No. 28814 of 2022	Mumbai High court	Challenging decision of Council for reduction in intake in B.Arch course	Pending
9	Ar. Bela Agrawal Vs Council of Architecture W.P. No 16402 of 2022	Delhi High Court	Suspension from practice by Council for Professional Misconduct.	Pending
10	Mr. S. Mohamed Raifan V/s President, Council of Architecture W. P No. 35118/2022 in the	Hon'ble High court of Madras	Admission to B.Arch. Course.	Dismissed
11	Piyam Jigesh Dave V/S SAL School of Architecture R/Special Civil application no. 26805 of 22 converted from SCA/42006/2022	Gujarat High court Ahmedabad	Non-grant of NOC by the Institution for migration to other institution.	Disposed
12	In the Extraordinary Civil Jurisdiction W.P © No. 4100of 2023 In the matter of Dobariya Mohit Ramnikal V/s Union of India & anr. With the above a total of about 100 cases, inclu-	High court of New Delhi	Recognition of Foreign Qualification and registration as an architect.	Pending

With the above a total of about 100 cases, including criminal complaints filed by the Council for violation of Architects Act, 1972, are pending in various courts of law.

28. LAYING DOWN CRITERIA FOR NOMINATION OF A MEMBER OF THE COUNCIL UNDER SECTION 3(3)(f) OF THE ARCHITECTS ACT, 1972: The Hon'ble Karnataka High Court in Writ Petition No.16114 of 2021 vide its order dated 08.01.2023 at para16 (iii) as ordered as under: -

"The Union of India shall take steps to notify certain criteria for nomination of Members of the Council qua the qualification and experience under the Rules, which would become binding on every State Government as expeditiously as possible."

The Council has also submitted its suggestions to the Ministry in the matter and appropriate amendments in Council of Architecture Rules, 1973 are awaited.

29. INTRODUCTION OF SUBJECT OF CLIMATE CHANGE IN THE B.ARCH. COURSE.

The Council after taking note of the impacts of Climate Change in Global Scenario are being felt more urgently and frequently. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) sounded a code red alert for humanity in 2021. The alarm bells are deafening, and the evidence is irrefutable: greenhouse-gas emissions from fossil-fuel burning and deforestation are choking our planet and putting billions of people at immediate risk. Global heating is affecting every region on Earth, with many of the changes becoming irreversible.

It was also noted that India is now the third-biggest carbon emitter worldwide, accounting for seven percent of global emissions in 2020 and buildings account for about 38% of India's carbon emissions. We recognize that buildings are also our first defense against climate change hazards like heat waves, storms, and floods. At COP26 Summit for countries held in 2021, the Prime Minister announced India's Panchamrit goals to cut its emissions to net zero by 2070.

To help achieve these goals, and to protect our property and lives, we need net-zero and climate resilient buildings. If architects as building designers are responsible as stewards of the environment, then developing the understanding and abilities for Climate Action in the form of mitigation and adaptation should be an integral part of the attributes and competencies of all future building professionals.

In order to address issues related to Climate Change in the context of Architectural education, the President, Council of Architecture constituted a Sub-Committee consisting of Ar. Vishal Vyas as Convenor, Prof. Prasad Vaidya, Member, Prof. Ashok B. Lall, Member, Ar. Sandeep Shikre, Prof. Hina Zia, Member, Prof. Rajiv Mishra, member, Dr. Vijaylakshmi Iyer, member, Dr. Anand Achari, Member, Prof. Suresh Murthy, member, Ar. Swati Puchalpalli, member, to assist the Council of Architecture to suggest appropriate changes to the curriculum in Architectural Institutions.

The Committee would soon submit its report.

30. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WITH VARIOUS DEPARTMENTS/ ORGANISATIONS: In order to further the objectives of the Architects Act, 1972, the Council has entered into MOUs with BEE, GRIHA, IPA, IGBC, etc.

The Council and SEPC (Ministry of Commerce and Industry) have entered into an MOU on 13.05.2022 to work together for promoting Export of Architecture services and also to facilitate MRA between Council and foreign Architects registration authorities and other related issues.

Further, the Council also entered into an MOU with Department of Empowerment of persons with Disabilities on 14.02.2023 with the following objects:

- Inclusion of mandatory credits/modules etc. related to universal accessibility, accessibility features for PwDs in the B.Arch. course.
- > To develop and deliver refresher courses for practicing Architects/ academicians/ faculty members related to universal accessibility, accessibility features for PwDs so that all future buildings are designed and planned with such mandatory features.
- COA and DEPWD would work together to facilitate the Architects by developing a certified course to create expertise for them to conduct accessibility audits of the buildings all over India.
- COA and DEPWD agree to work together to reach out to all local self-government institutions, such as Development Authority, Municipal Corporations, Municipalities, Cantonment Board and Municipal Councils, etc. to identify if the accessibility norms are incorporated in the local building byelaws for approval of building plans and issuance completion certificate of buildings.
- COA and DEPWD in collaboration would work together to develop a comprehensive document/Manual comprising of best practices of existing guidelines/documents/standards (national as we as international) as a ready to use reference to all the Architects and other building professionals for making universally accessible norms and their implementation.

- COA and DEPWD may jointly conduct workshops, seminars, training programme/accessibility design competition etc. for the promotion and create awareness about making public spaces and buildings accessible for PwDs.
- COA and DEPWD to undertake any other activity to further the objects of this MOU.
- DEPWD may facilitate COA by providing financial support to achieve the objectives of the MoU as when required.

The Secretary, DEPWD signed the MOU on behalf of DEPWD and President, COA on behalf of Council of Architecture. The Council has also received request from Auroville Foundation to work together and would soon finalise the terms and conditions.

- 31. MUTUAL RECOGNITION AGREEMENTS FOR RECOGNITION INDIAN ARCHITECTURAL QUALIFICATIONS BY FOREIGN AUTHORITIES: The Council is in active correspondence with authorities of UK, Australia and US for recognition of Indian Architectural qualifications abroad with the assistance and support of Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India.
- **32. CONDUCT OF PROFESSIONAL EXAMINATION BEFORE GRANT OF REGISTRATION AS AN ARCHITECT BY THE COUNCIL:** The Council in its 79th Meeting held on 12th March, 2023, considered the need for introduction of professional examination before granting registration as an architect. The Council noted that due to non-existence of professional practice examination, corporate practice and prohibition on practice of architecture by non-architects, it could not conclude MRAs with foreign authorities. The Council noted that professional examination needs to be introduction inter alia for following reasons:
 - 1. The current system of registration is not at par with the registration practices and processes for architects in most of the foreign countries. Most other countries have an exam-based evaluation of competence and abilities of Architects leading to registration for architectural practice.
 - 2. The current framework does not enable people who may have the competence, but lack the formal degree, to be recognised and called as Architects under the Architects Act.
 - 3. While the qualifying degree-based registration has served well so far, it does not adequately ensure that competent and qualified architects are allowed to practice architecture. This is important as the profession of architecture has a large role to play in ensuring protection of environment, conservation of energy & natural resources apart from health and safety of the people.
 - 4. Presently, while the title of "Architect" is protected under the Architects Act, the services are not, leading to many unqualified and possibly incompetent professionals providing such services to gullible members of the public. In the context of India's rapid urbanization and the uncertainties of climate change, this could lead to large problems in the future.
 - 5. Taking advantage of lacuna in the Indian laws, foreign service providers also provide architecture and related services since there is no prohibition under the Law.
 - 6. In the absence of a Professional Practice Examination, the Council is unable to enter into reciprocal arrangements for recognition of Indian Architectural Qualifications by the authorities abroad and open up global opportunities for Indian architects to provide their professional services.

The proposal for conduct of Professional Examination would be submitted to the Central Government for its approval.

33. EQUIVALENCE OF FOREIGN PG QUALIFICATIONS IN ARCHITECTURE FOR EMPLOYMENT IN INDIA: The Council receives numerous representations and public grievance from architects who have completed their Postgraduate Qualifications in Architecture from abroad about non-recognition/ equivalence of their qualifications with Master's Degree in Architecture in India.

The matter was also discussed with the officials of the Ministry and the Ministry desired that a scheme be prepared for grant of equivalence based on some pre-determined parameters including conduct of examination for grant of equivalence to Foreign PG qualifications in India so that the concerned architects can avail the benefits of their higher qualifications.

Accordingly, a Sub-committee under the Convenorship of Dr.Vandana Sehgal and Dr. Minakshi Jain, Member, Dr. Kavita D. Rao, Special Invitee, Dr. P.S.N.Rao, Special Invitee and Dr. A. Srivatsan, Special Invitee, was constituted to prepare the scheme and mechanism for grant of equivalence to Foreign PG Qualifications in Architecture with Indian Master's Degree Course in Architecture by the Council. The Committee after taking serious note of the issue has proposed an automated process for facilitating Equivalence of Master's Degree in Architecture which is easily accessible, time bound, single window, fair and objective for making application for equivalence on the COA website. The Council in its 79th Meeting

held on 12th March, 2023, approved the Foreign PG qualification Scheme and the same was submitted to the Ministry of Education for according their approval for implementation. The approval of the Ministry is awaited.

34. CONVICTION FOR SUBMITTING FALSE DOCUMENTS FOR REGISTRATION AS AN ARCHITECT: The Council filed an FIR with the Badlapur Police Station, Thane against Shri Sanjay Gopal Jadhav for submitting fake documents for obtaining Registration No. CA/96/20473 from the Council. Accordingly, FIR No. I-71/2002 was registered under Section 420, 463, 471 of Indian penal Code and Section 36 & 37 of Architects Act, 1972. The Police after investigation in the FIR filed a charge sheet in the matter before the Competent Court.

The 6th Joint Civil Judge, J.D. and J.M.F.C, Ulhasnagar, Thane has convicted the Accused Sanjay Gopal Jadhav on 05.04.2022 under Section 420 of the Indian Penal Code and sentenced him for three years rigorous imprisonment and fine of Rs.50,000, under Section 463 of Indian Penal Code for rigorous imprisonment for two years and also under Section 471 for further rigorous impressment for two years. The Hon'ble Court has also directed the accused to pay the compensation of Rs. 2,00,000/- to the State of Maharashtra within three months.

35. AWARENESS ON ROLE OF ARCHITECTS IN SOCIETY:

In order to spread awareness about role of architect in society and among students, the Council has produced short films of 20 Minutes, 10 Minutes and 5 Minutes duration. The films were produced with the help of Ar. Shaleen Sharma. The Council has also availed services of FM Radio stations for spreading awareness on role of architects in construction of buildings.

36. LAUNCH OF MOBILE APP FOR ARCHITECTS BY THE COUNCIL OF ARCHITECTURE:

The Council has launched a Mobile App for Architects wherein they can check the renewal status, validity of certificate, make payments and avail other services/ facilities offered by the Council.

37. COLLECTION OF GST ON SERVICES PROVIDED BY ARCHITECTS:

After receipt of several representations, from Architects, the Council has requested the Hon'ble Finance Minister, Govt. of India, that collection of GST on Architectural Services should be made responsibility of Client instead of Architects. Appropriate action from the Ministry of Finance is awaited.

38. CONDUCT OF ARCHITECTURAL DESIGN COMPETITIONS BY COUNCIL:

During the year under report the Council has conducted following Architectural Design Competitions through its online portal:

- 1. Construction of Building of Centre of Excellence Building of COA at Bangaluru.
- 2. Architectural Design Competitions on behalf of Ministry of Road Transport and Highways:
 - a. Standardisation of Bus Shelters to be constructed on all National Highways.
 - b. Construction of Intermodal Station at Katra, Jammu and Kashmir.
 - c. Beautification of boundary wall of all National Highways.
 - d. Erection of Iconic Structure between Dhaula Kuan to T1 IGI Airport, New Delhi.
- 3. Architectural Design Competition on behalf of Ministry of Housing and Urban Affairs, Govt. of India, for design of Toilets as part of Swachha Bharat Mission 2.0 Urban.

39. CELEBRATION 50 YEARS OF ENACTMENT OF THE ARCHITECTS ACT, 1972:

The Architects Act, 1972, came into force w.e.f. 01.09.1972, throughout the territory of India. As part of Golden Jubilee Celebration of the Act, the Council organised a Full-day Seminar titled as "Pratyasha" on 6th November, 2022 in Stein Auditorium, India Habitat Centre, New Delhi.

Hon'ble Lok Sabha Speaker Shri Om Birla Ji sent message through a letter and Hon'ble Minister of Road Transport and Highways, Govt. of India sent a video message and inaugurated the event. The Council initiated two oration series on this occasion, namely, Ar. Piloo Modi Oration series (Late Parliamentarian who played important role in enactment of the Act) and Ar. J.R. Bhalla Oration series (First President, COA).

40. GRANT OF AWARDS TO ARCHITECTURAL STUDENTS BY THE COUNCIL:

In order to promote research and innovation in architecture the Council is granting awards to meritorious candidates every year in following categories:

- A) COA Awards for Excellence in Architectural UG Thesis: The author of the best Three thesis projects Rs. 75,000.00/- + Certificate each. The author of the next Seven thesis projects Rs. 20,000.00/- + Certificate each.
- B). To the author of the thesis project selected for JK AYA Best Architecture Student of the Year Award Rs. 25,000/-, Trophy and citation. (by J.K.Cement Ltd.)
- C) COA National Awards for Excellence in Post Graduate Thesis in Architecture 2022: The author of the best three thesis projects Rs. 75,000.00 each. To the author of the three runner up thesis projects Rs. 20,000.00 each.
- C) JK AYA Best Architecture Student of the Year Award 2022: The author of the best Three thesis projects Rs. 75,000.00/- + Certificate each. The author of the next Seven thesis projects Rs. 20,000.00/- + Certificate each.
- D) COA Students Awards for Excellence in Documentation of Architectural Heritage: Winners at National Jury (3 Nos.) Rs.75,000/- + Certificate each and Citation at National Jury (6 Nos.) Rs.15,000/- + Certificate each
- E) Awards for COA International Essay Writing Competition: First- cash prize of Rs. 25,000/- + certificate+ interview/video clip on COA social. Second- cash prize of Rs. 15,000/- + certificate+ interview/video clip on COA social. Third- cash prize of Rs. 10,000/- + certificate + interview/video clip on COA social

41. ACTIVITIES UNDERTAKEN AT TRAINING AND RESEARCH CENTRE OF COA AT BHOPAL AND PUNE:

A. Activities undertaken at TRC Pune:

Sr. No.	Title/Theme of Programme	Date of Programme		
1	ECBC- Introduction to Energy Conservation Building Code	4th April 2022 -8th April 2022		
2	Advanced Services and Construction Challenges for Futuristic Architecture Conservation	19th April to 22nd April 2022		
3	Introduction to Energy Conservation Building Code	9th May 2022 to 13th May 2022		
4	Child Psychology & Child Certic Designs	6th June to 10th June 2022		
5	Integrating Sustainable Design Approaches in Architectural Education	21st June 2022 - 24th June 2022		
6	Aspiring_Research Paper	28th June 2022 - 1st July 2022		
7	Knowledge & Employability in Architecture: Future of Architectural Education	5th July 2022 - 8th July 2022		
8	Achieving_Research Paper	4th July 2022, 11th July 2022, 18th July 2022, 25th July 2022 and 1st August 2022		
9	Architectural Pedagogy as Bride between Construction Industry Skills & Convention Theory	19th July 2022 to 22nd July 2022		
10	Introduction to Energy Conservation Building Code	25th July 2022 to 29th July 2022		
11	Research in Architecture	2nd August 2022– 5th August 2022		
12	Naturalist Approach to Architectural Design	23rd August 2022 to 26th August 2022		
13	Interpreting and Mainstreaming Living Indian Urban Heritage	13 September 2022 to 16th September 2022		
14	Learning from History to Create Paradigms Inspired by Ancient Wisdom	26th September 2022 to 30th September 2022		
15	Green Buildings: Perspective & Practice	10th October 2022 to 14th October 2022		
16	Mapping Cultural Resources: Strengthening the Future	10th October 2022 to 14th October 2022		
17	The Site: It's Relevance to Design	7th November 2022 to 11th November 2022		
18	New ways of Engaging with History for Architects	12th November to 16th November 2022		
19	Re-Thinking the Design Studio	21st November 2022 to 25th November 2022		
20	Approaches to Thesis Orientation & Dissertation at	21st November 2022 to 25th		

	the Undergraduate level	November 2022		
21	Sustainable Habitat : Design, Planning and Management"	28th November to 2nd December 2022		
22	Transition towards NET Zero - The Roadmap	6th December 2022 to 9th December 2022		
23	Art in Architecture: An interdisciplinary Perspective and its Application in Architectural design	12th December to 16th December 2022		
24	Aspiring Research in diverse domains of Architecture	12th December to 16th December 2022		
25	Interpretations of SDGs in Architecture – History, Humanities, and Conservation	19th December 2022 to 23rd December 2022		
26	Tools & Techniques for Data Management and Analysis in Architectural Research	19th December 2022 to 23rd December 2022		
27	Reimagining Urban Voids	2nd January 2023 to 6th January 2023		
28	Revisiting the role of Associated Subjects in Architecture Education	16th January 2023 to 20th January 2023		
29	NEP: Way Forward in Architecture	30th January to 3rd February, 2023		
30	Ancient Texts on Architecture and Ecology	6th February 2023 - 10th February 2023		
31	Architectural Heritage Conservation	13th February 2023 to 17th February 2023		
32	Transformative pedagogy as response to contemporary challenges of Architecture Education and practice	20th February 2023 to 24th February 2023		
33	Conceiving and Completing Research Paper	13th March 2023 to 17th March 2023		

B. Activities undertaken at TRC Bhopal:

1.	FDP on Outcome-Based Education: Research	11 st to 15 th April 2022
	Methods & Techniques in Architecture and	
2	Planning Cartiell Daylor Cart 11 Julies	41 1
2.	STTP on Sustainable Development Goal 11: Indian	18 th to 22 nd April 2022
2	Heritage	4 41-
3.	TTP on SDG-4's 10 Targets for Teaching and Learning in Architecture	2 nd to 6 th May 2022
4.	FDP on Architecture and Climate Change: Tracing	th th
4.	Diverse Paths Towards a Common Goal	6 th to 10 th June 2022
5.	Training on Application of GIS and Remote	th ath a second
٥.	Sensing in Architecture and Planning (Level 2)	4 th to 26 th June 2022
		(Saturday and Sunday)
6.	International Conference on Multidisciplinary	24 th to 26 ^h June 2022
	Aspects of Architecture and Planning: Enhancing	
	the Connections	
7.	FDP on Architectural Education Through Outcome-	4 th to 8 th July 2022
	Based Leaning	
8.	FDP on Application of Contemporary Technologies	11 th to 15 th July 2022
	for Sustainable Habitat Design, Planning &	
	Management	
9.	FDP on Outcome-based Education: Inculcating	1 st to 5 th August 2022
	pedagogic changes to meet the challenge of Off-beat	
	Career options	
10.	FDP on Building Services and their implementation	22 nd to 26 th Aug. 2022
	in Architectural Design	Al.
11.	FDP on Contemporary Campus Planning and	29 th Aug to 2 nd Sep 2022
	Design in India	
12.	FDP on Quantitative Methods for Qualitative	1st Aug 2022 - 5th Aug
	Research in Architecture and Planning	2022
13.	FDP on Building Services	22nd August 2022- 26th
		August 2022
14.	FDP on Vernacular Architecture and Traditional	19th Sept to 23rd Sept 2022

	Constructional Practices in Indian Cities			
15.	FDP on Quantitative Methods for Qualitative Research	17th October to 21st October		
	in Built Environment	2022		
16.	FDP on Emerging Paradigms in Architectural	7th Nov-11th Nov 2022		
	Research A Skill Building Approach			
17.	FDP on Barrier-free design and Universal Design	14th Nov-18th Nov 2022		
	Principles in Architecture and Planning			
18.	FDP on Effective Teaching Methodology in	28th Nov 2022-2nd Dec		
1.0	Architecture	2022		
19.	National Level Online Training Program On	3rd Dec- 25 Dec 2022		
20	Applications Of GIS & Remote Sensing	54 + 04 D 1 2022		
20.	FDP on Research Paper and Book Chapter writing in	5th to 9th December 2022		
21.	Architecture and Planning FDP on Sustainable and Green Built-Environment	12th to 16th December 2022		
		12th to 16th December 2022		
22.	FDP on Building Resilient Urban Communities	26th December- 30th December 2022		
23.	STTP on Indian Livable Cities	2nd Jan to 6th Jan 2023		
24.	STTP on Design of Building Services and System	09th Jan to 13th Jan 2023		
25.	FDP on Rethinking Building Byelaws and Planning	23rd Jan to 27th Jan 2023		
23.	Regulations	251d Jan to 27th Jan 2025		
26.	FDP on Urban Disasters-Mitigation and Management	6th to 10th Feb 2023		
27.	FDP Sustainable Coastal area Designing, Planning,	13 to 17 Feb 2023		
	Protection & Management			
28.	Online Workshop on OpenSource Framework	20th to 24th FEB 2023		
	Delineation of Urban Features from UAV Drone Data			
29.	Online Training Program on BIM during Weekend	4th March to 26th March		
		2023		
30.	FDP on Understanding Indian Knowledge Systems in	20th March to 24th March		
	Architecture and Planning	2023		
31.	FDP on Research Writing and Publication in	27th to 31st March 2023		
	Architecture			

42. ANTI RAGGING MEASURES IN ARCHITECTURAL INSTITUTIONS:

The Council has adopted the UGC Regulations on Anti-Ragging and all Architectural Institutions have been asked to strictly adhere to the same. During the year under report no incident of Ragging of any student was report by any institution or student to Council. Shri Deepak Kumar, Administrative Officer is Nodal Officer of Council on Anti Ragging.

- 43. IMPLEMENTATION OF PROVISIONS OF THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013: The Parliament of India has enacted the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition And Redressal) Act, 2013, to create a safe and conducive work environment for women and provide protection against sexual harassment. The Council asked all institutions to strictly comply with the provisions of the same. Online workshops were held to guide women architects, students and faculty on their rights and remedies available under the Act. The Council also created a separate helpline for such type of matters.
- 44. AMENDMENT IN COA RULES 1973 FOR ENHANCEMENT OF FEE BEING CHARGED BY COUNCIL FROM ARCHITECTS: The Council in its 72nd Meeting held on 24th and 25th January, 2020, a proposal for revision of fees was submitted with the Ministry of Education, Government of India, on 18th November 2020, for suitably amending the Council of Architecture Rules, 1973 for enhancing the fees being charged from the Architects. The certain clarifications were sought by the Ministry and the same were provided by the Council. The approval of the Ministry is awaited.

45. INTRODUCTION OF AADHAR BASED AUTHENTICATION OF INDIVIDUALS BY THE COUNCIL:

The Council has decided to introduce Aadhar based authentication as for part of its initiatives for Good Governance for following services:

Registration of Architects under the Architects Act, 1972: Registration as an Architect is a statutory
requirement for an individual to practice the profession of an Architect and to use the title and style of
an Architect under the Architects act 1972, enacted by the Parliament of India. Aadhar authentication of

individuals will help in use of their Aadhar data such as name, father/ mother/husband/guardian name, date of birth, etc. for use in COA database.

- 2. **Issuance of Enrollment No. to students admitted by Architectural students**: Aadhar Authentication will help in verification of credentials of students and fast delivery of enrolment numbers.
- 3. Implementing Good Governance and digital platforms, i.e. issuance of Registration Certificate, Enrolment numbers, Training Certificates on Digi locker and other platforms by council.
- 4. **NATA**: The council conducts national aptitude test in architecture (NATA) for admission to B.Arch. Course. Aadhar authentication of students who register for NATA will help in verification of genuine students and posting their results on Digi locker, etc.
- 5. **Grant of Scholarship to needy students**: The Council is granting scholarship to needy students. Aadhar Authentication would helping identifying the concerned beneficiaries and ensure proper utilization of public funds.
- 6. **Release of award money to winners of competitions**: The Council is awarding various prizes to students and faculty member's aadhar authentication will help in the targeted and fast delivery of prizes money, etc.
- 7. **Issuance of online directory of Architects**: The Council is publishing online directory of Architects, Aadhar Authentication will help in avoiding misuse of Architects data by any person.
- 8. **Architectural Design Competition:** The Council from time to time assist various government bodies in conduct of Architectural design competition for selection of Architect.

The Council has written to the Ministry of Electronics and Information Technology (MEITY), Govt. of India, for authentication of Aadhar services, as above, who is the competent authority, to authenticate the usage of digital platforms to ensure Good Governance.

In response, the authorization has been conveyed by MEITY, to the Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Education, Govt. of India, to issue the notification under the Aadhar Rules. The notification from the Ministry of Education is still awaited from the Ministry.

- (MINIMUM 46. APPROVAL OF COUNCIL OF ARCHITECTURE **STANDARDS** ARCHITECTURAL **EDUCATION FOR** POSTGRADUATE DEGREE PROGRAMME) REGULATIONS, 2022: The Council in its 77th Meeting held on July 15, 2022 approved the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education for Postgraduate Degree Programme) Regulations, 2022. These regulations have been submitted to the Ministry of Education, Govt. of India, in November, 2022, for according their approval in terms of Section 45 of the Architects Act, 1972. The approval of the Ministry is awaited.
- **47. TO CONSIDER THE REPORT OF THE SUB-COMMITTEE ON REVIEW OF MEMBERSHIP OF IIA BY EXAMINATION:** The Council constituted a Committee comprising of Prof. Kavita D. Rao, Convenor and Ar. Shirish G. Sukhatme and Ar. Salil Ranadive, to assess the Associate Membership of IIA Examination conducted by IIA. The Executive Committee perused the report of the Committee and letter dated 11.06.2022 sent to IIA for submitting action plan for implementing the recommendations of the Committee. The action plan from IIA was awaited.
 - **48. CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS):** The Council of Architecture at its 78th meeting held on November 7, 2022 considered "Guidelines for Career Advancement (Internal Promotion) Scheme for Faculty Members of Architectural Institutions" and decided to approve the same. These guidelines have been prescribed by the Council in exercise of the powers conferred under section 21 of the Architects Act, 1972 and are to be adhered to by all the universities, institutions and competent authorities. A copy of these guidelines is attached herewith for your ready reference.

These Guidelines lay down norms as to have faculty member would be allowed to move to respective next higher-Grade Pay, subject to satisfactory performance and duly approved by the Competent authority. As teachers are always upgrading themselves in many ways, such upgradation needs to be rewarded in appropriate manner as an incentive and appreciation. Similarly, for teachers in employment for long duration in the same institution and upgrading themselves or actively involved in research or practice need appreciation in the form of promotion to higher Cadre. Career Advancement Scheme (CAS) facilities such appreciation and promotion of faculty members.

All the institution and universities imparting B.Arch./M. Arch. Degree courses in the country as well as competent authorities in the Central/State Governments were requested to implement the Career Advancement Scheme (CAS), as prescribed by the Council, for the betterment of faculty members employed at the Architectural institutions.

- **49. COMPLETION OF INTERIOR WORK OF COA OFFICE AT IHC AND NBCC PLACE, OKHLA, NEW DELHI:** The Council has successfully undertaken interior work of its office at IHC. Further, the interior work of COA office space at NBCC Okhla has been completed and office has been made functional.
- 50. MAKING PRESENTATION BEFORE MEMBERS OF PARLIAMENT AND LEGISLATE ASSEMBLIES ONLINE/OFFLINE ON IDEAL VILLAGE DEVELOPMENT PLAN: The President, COA, on 22nd December, 2022, met Dr. Ms. Seema Kaul Singh, Director, Parliamentary Research & Training Institute for Democracies (PRIDE), Lok Sabha Secretariat, regarding making a presentation before Members of Parliament and Legislative Assemblies online/ offline on "Ideal Village Development Plan. The Lok Sabha Secretariat has agreed to the proposal and would soon organize this event.

51. PUBLICATIONS:

The Council is publishing Magazine "Architecture Time Space and People" and CANewletter in e-format containing various articles related to Architecture and allied subjects and news and information about the Council and its activities.

The Council has purchased following books at concessional rates for distribution to Architectural Institutions for promotion of architectural education and profession:

S.No.	BOOK TITLE	AUTHOR / PUBLISHER	
		NAME	
1.	Journal of Council of Architectural (JCOA) -Heritage and	Council of Architecture	
	Conservation		
2.	Just give me some space.	Ar. Suha Riyaz Khopatkar	
3.	Let's build with bamboo (vol 1 & vol 2).	Ar. Neelam Manjunath	
4.	Archiving Architectural Thesis – 2020.	Council of Architecture	
5.	Learning Basic Design.	Prof. Pradnya Chauhan	
6.	Form Follows Roots Architecture for India - 1985-2021.	Ar. Surinder Bahga	
7.	Architecture: Conceptual to the Menifest - (2012).	Shri Prof. Kulbhushan Jain	
8.	Cubist Modernism – The Making, Meaning and Madness of	Ar. Sangeet Sharma	
	my Architecture.		
9.	Courtyard Houses of India.	Yatin Pandya	
10.	Architectural Inheritance and Evolution in India.	Apurva Bose Dutta	
11.	Chandigarh.	Ar. S S Bhati	
12.	Architecture: Theory, Practice, Research, and Pedagogy.	Ar. S S Bhati	
13.	Sheltering Angle.	Ar. Asha Baste and Late Ar.	
		Prabhakar Baste	

52. ACKNOWLEDGEMENT: The Council would like to place on record its appreciation and gratitude to the Central Government and its Officers, all State Governments, Union Territories, all Architectural Institutions for extending their cooperation to Council in implementation of the Architects Act, 1972.

The Council expresses its gratitude to the office bearers and members of the Council, Experts, Auditors, Advocates, other professional bodies, practicing architects, academicians and all advertisers for their cooperation, guidance, advice and support for furthering the objectives of the Architects Act, 1972.

The Council would like to thank Hon'ble Speaker Lok Sabha, Shri Om Birla Ji, Shri Nitin Gadkari Ji, Hon'ble Minister of Road Transport and Highways, Govt. of India, Shri Dharmendra Pradhan ji, Hon'ble Minister of Education, Govt. of India and Shri Piyush Goyal, Hon'ble Commerce Minister, Govt. of India, Chairman, Parliamentary Standing Committee on Education, for their kind support and guidance to Council from time to time. The Council would also like to thank Hon'ble Governor Punjab, Hon'ble Chief Minister Kerala, Hon'ble Chief Minister Karnataka, Chief Secretary UP, for launch of Manual of Architectural Practice by them.

The Council also expresses its gratitude to its Officers & employees and all those who have rendered useful services to it during the year 2022-23.

Dated: 14.08.2023

V. K. VERMA & CO.	In reply please quote
CHARTERED ACCOUNTANTS	
C-37, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI-110001	
TEL. : 23415811,23416858,23415778,23411014	
FAX : 91-11-23417925	
E-mail: vkverma@vkvermaco.com	
pverma@vkvermaco.com	
Website: www.vkvermaco.com	

AUDITORS' REPORT

We have audited the attached Balance Sheet of "COUNCIL OF ARCHITECTURE", India Habitat Centre, Core 6-A, 1st Floor, Lodhi Road, New Delhi – 110003, Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account for the year ended on 31st March, 2023, incorporating the accounts of the Council. These financial statements are the responsibility of the management of the Council. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have conducted the audit in accordance with generally accepted Auditing & Accounting Standards, notified till date issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements, plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedure selected depends on the auditor's judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal controls given to the preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the internal controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient & appropriate to provide a basis for our audit opinion subject to Note No. 1 to 16 of Annexure No. 14 — Significant Accounting Policies & Notes forming part of Accounts.

We further report that:

- 1. We have obtained all the information and explanation, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of the audit;
- 2. In our opinion, proper books of accounts as required by Architects Act, 1972 have been kept by the Council in so far as appears from our examination of such books;
- 3. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with the report are in agreement with the books of account; and
- 4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said statement of accounts together with the schedules attached and read with the accounting policies and notes forming part of accounts give a true and fair view:
 - a) In the case of Balance Sheet of the statement of affairs of the Council as at 31st March, 2023 and
 - b) In case of Income & Expenditure Account of the excess of Income over Expenditure for the year ended 31st March, 2023.
 - c) In case of Receipts & Payments Account of the receipts and payments flows for the year ended 31st March, 2023.

For V K VERMA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN 0000386N

Partner

(R.C.Hasija), M. NO. 054809

Date: 16/08/2023

Place: New Delhi, UDIN: 23054809BGYDXG7798



COUNCIL OF ARCHITECTURE: NEW DELHI

(Established under the Architects Act, 1972 enacted by the Parliament of India)
NON-PROFIT ORGANISATION- SETUP AS A GOVERNMENT AUTHORITY)

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2023

(Amount - Rs.)

DALANCE SHEET AS AT 3131 WARCH, 2023			(Amount – Ks.)	
	Schedule	Current Year	Previous Year	
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES				
	1			
CAPITAL CONTRIBUTION FROM GOVT.OF INDIA	1	150000.00	150000.00	
EARMARKED FUNDS	2	1336399626.00	1166968063.00	
LIABILITIES	3	274840148.00	269378060.00	
SURPLUS / DEFICIT ACCOUNT	7	450394589.97	423246920.59	
TOTAL		2061784363.97	1859743043.59	
ASSETS				
FIXED ASSETS	4	240175456.78	234307593.00	
INVESTMENTS	5	1689753968.00	1524700291.00	
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES	6	131854939.19	100735159.59	
TOTAL		2061784363.97	1859743043.59	
ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS	14			

For and on behalf of **COUNCIL OF ARCHITECTURE**

(REGISTRAR) (PRESIDENT)

In terms of our separate report of even date For V. K. VERMA & CO. Chartered Accountants FRN:000386N

(CA R.C. HASIJA) M.N.054809

Place: New Delhi Date: 16.08.2023

(NON-PROFIT ORGANISATION-SETUP AS A GOVERNMENT AUTHORITY)

INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2023 (Amount – Rs.)

	Schedule	Current Year	Previous Year
INCOME			
Fees			
	8	50638887.00	49129769.00
Other Income	9	108647510.51	128268389.56
Interest Earned	10	88568138.84	79650360.64
TOTAL (A)		24,78,54,536.35	25,70,48,519.20
EVDENDITUDE			
EXPENDITURE Establishment Expenses			
	11	24029122.00	20969749.00
Administrative Expenses	12	14728926.61	24134776.30
Expenses related to Promotion of Education &	13	25751926.00	7246241.00
Practice	4	210,0002.20	1104652 40
Depreciation	4	2196892.36	1104653.49
TOTAL (B)		66706866.97	53455419.79
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		181147669.38	203593099.41
Transferred to Surplus and Deficit Account		181147669.38	203593099.41
ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS	14		

For and on behalf of **COUNCIL OF ARCHITECTURE**

In terms of our separate report of even date For V. K. VERMA & CO. Chartered Accountants

Chartered Accountant FRN:000386N

(REGISTRAR) (PRESIDENT) (CA R.C. HASIJA) M.N.054809

Place: New Delhi
Date: 16.08.2023



COUNCIL OF ARCHITECTURE: NEW DELHI

(Established under the Architects Act, 1972 enacted by the Parliament of India)

(NON-PROFIT ORGANISATION- SETUP AS A GOVERNMENT AUTHORITY)

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED ON 31ST MARCH, 2023

(Amount - Rs.)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
I. Opening Balance	1 cai	1 cai	I. Expenses	1 cai	1 cai
a) Cash in hand	55,400.00	50,930.00	a) Establishment Expenses (corresponding to Schedule	24,029,122.00	20,969,749.00
b) Online PG Receipts	413,206.50	948,377.00	11)	14,728,926.61	24,134,776.30
c) Bank Balances	113,200.30	710,577100	b) Administrative Expenses (corresponding to Schedule	2,043,517.00	38,127.00
In Current/OD accounts	752,622.77	1,715,424.77	12)	1,990,250.00	2,573,300.00
Savings Accounts	18,950,954.40	135,719,029.65	c) Workshops Conduct Charges	2,503,114.00	0.00
Drafts at Hand	12,040.00	709,109.00	d) Thesis/Heritage Award Programme Expenses	475,000.00	0.00
5) Dians at Hand	1		e) Centre for Excellence-Design Competition and Stone	1,707,500.00	0.00
II. Funds Received	l		Laying Exps.		
a) Evaluation Fees	# 0.000.000.00	40.000.000.00	f) Seed Money / Grant for Urban Studio Reseach		
b) Charges for Review of Decision	59,800,000.00	69,020,000.00	Project	23,271,657.00	32,222,369.00
c) Fine/ Penalty from Intuitions	150,000.00	1,000,000.00 1,495,000.00	g) Film on Architectural Awareness Exps.	22,712,185.86	22,738,645.00
d) Charges for Change/Closure of Name/Site of	455,000.00	3,100,000.00		0.00	81,080.00
Institution	5,100,000.00 32,000.00	10,000.00	II. Payments made against funds for various Projects	0.00	1,340,689.00
e) Arbitration Fee/Administrative Charges	32,000.00	10,000.00	a) NATA Expenses	11,921,464.00	1,334,538.00
,	l		b) Evaluation & Inspection Expenses	242,000.00	198,000.00
III. Interest Received	85,371,606.84	76,251,794.64	c) Arbitration Expenses	5,111,081.00	4,553,734.00
 a) On Bank deposits 	820,362.00	843,984.00	e) Directory of Architect Exps.		
b) Loans, Advances etc.	2,376,170.00	2,554,582.00	d) Publication Expenses		
 c) On Savings Bank Account 	l		f) BEE Program Expenses	8,705,123.00	7,825,839.00
	l		g) Conduct of Quality Improvement Programme	1,946,600.00	768,000.00
IV. Fee Income	8,050,200.00	8,653,800.00	Expenses	3,239,959.00	1,403,458.00
a) Registration Fee	10,719,100.00	10,684,500.00	III. Investments and deposits made	11,125,937.00	10,461,999.00
b) Renewal Fee	6,253,000.00	5,460,700.00	a) TDS deducted by the Bank/Companies	0.00	58,565,000.00
c) Restoration Fee	186,000.00	245,400.00	b) Advances to Staff	56,700,000.00	62,850,000.00
d) Duplicate Certificate Fee	14,304,650.00	13,623,170.00	c) Other Advances	16,400,623.00	6,321,478.00
e) Fine from Architects	11,125,937.00	10,461,999.00	d) Apportionment of One Time Renewal Fees	10,562,724.00	7,474,729.53
 f) Apportionment of One Time Renewal Fees 	0.00	200.00	e) NATA Fee Advance	830,362.00	843,984.00
g) Additional Qualification Fee	l		f) Evaluation Fees Advance	2,250,980.00	484,573.00
			,	0.00	0.00
V. Other Income	4,522,373.00	3,264,620.00	g) Amount receivable / Payable	0.00	2,500,000.00
 a) Income from Publications 	440.00	280.00	h) Bank Interest Accrued for the Year i) Interest Accrued on Staff Advance		
b) RTI Fees	79,344,400.00	100,724,000.00	j) Prepaid Expenses for NATA Examination		
c) NATA Fees	0.00	135,000.00	k) Security deposits from Existing Architectural	8,102,904.00	21,051,374.00
d) Tender Fees	840.37	26,341.56	Institutions		
e) Misc. Income	4,204,300.00	4,770,700.00	Security deposits from New Architectural		
f) Conduct of Quality Improvement Programme	1,000,000.00	1,000,000.00	Institutions	590,025,457.00	464,447,963.00
Charges	l			7,500,000.00	0.00
g) Thesis Award Programme - Sponsorship	l		IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-		
VI Other Persists	26,557,500.00	31,973,000.00	Progress		
VI. Other Receipts a) One Time Renewal Fee	432,471,780.00	166,838,707.00	a) Purchase of Fixed Assets	17,330.00	55,400.00
b) FDR's Matured during the Year	2,480,907.00	3,116,859.00	**		
,	1,898,848.00	770,775.00	V. Investments and deposits made	248,905.77	752,622.77
c) Advances Recovered from Staff d) Other Advances Recovered	3,852,677.53	3,439,184.37	 a) Out of Earmarked/Endowment funds 	28,994,880.03	18,950,954.40
*	1,368,028.86	34,312,741.51	b) Out of Security Deposit Received from Architectural	634,010.00	12,040.00
e) Interest adjusted agst. Interest Accrued	14,830,150.00	0.00	Institution	170,882.00	413,206.50
f) Taxes/ Amount/Postage payable	53,210,000.00	56,700,000.00	VI. Closing Balance		
g) NATA Fees Advance	0.00	729,420.00	e		
h) Evaluation Fees Advance	7,500,000.00	25,000,000.00	a) Cash in hand		
i) Performance Security	22,000.00	18,000.00	b) Bank Balances		
k) Security deposits from New Architectural	i		1) In Current/OD accounts		
Institutions 1) BEE Sponsorship/Administrative Charges	i l		2) Savings Accounts		
BEE Sponsorship/Administrative Charges	i		3) Drafts at Hand		
TOTAL			3) Online PG Receipts		
TOTAL	85,81,92,494.27	77,53,67,628.50	TOTAL	95 91 92 494 27	77,53,67,628.50
	00,01,94,494.27	11,55,01,048.50		03,01,32,494.27	11,55,01,048.50

For and on behalf of **COUNCIL OF ARCHITECTURE**

In terms of our separate report of even date For V. K. VERMA & CO.

Chartered Accountants FRN:000386N

(CA R.C. HASIJA) M.N.054809

Place: New Delhi Date: 16.08.2023

(REGISTRAR)

(PRESIDENT)